पूर्ण पीठ

न्यायमूर्ति पी. सी. जैन, एस. सी. मित्तल और आर. एन. मित्तल के समक्ष।

हरद्वारी *लाल, - याचिकाकर्ता*

बनाम

श्री जीडी तापसे और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 3658 सन 1980

16 सितंबर, 1981

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम (25सन 1975) जैसा कि हरियाणा अध्यादेश 5 सन 1980 *और* हरियाणा अधिनियम *40 सन 1980 द्वारा संशोधित* किया गया है - धारा *3, 4 और 9-ए - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की पहली अनुसूनची – धारा* 2, 4 (6) और (7) और *26 - भारत का संविधान* 1950 - *अनुच्छेद 14 और* 361- *कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए इस वादे के साथ नियुक्त किया गया कि कार्यकाल का नवीकरण किया जाएगा – अधिनियम द्वारा कुलाधिपति को दिए गए नवीनीकरण की शक्ति - कुलाधिपति के आश्वासन पर कार्य करना और विधान सभा से अपनी सीट त्यागकर अपना पद बदलना - तीन वर्ष की समाप्ति पर कार्यकाल का नवीकरण नहीं किया जाना - कुलाधिपति- क्या कार्यकाल को नवीनीकृत ना करने से रोका गया है - चांसलर का आश्वासन – क्या उसके अधिकार के अंदर है।– वचन विबन्धन का सिद्धांत-क्या ऊपयुक्त होगा।- धारा 9-ए द्वारा प्रतिबंधित* 65 *वर्ष की आयु से अधिक कुलपति की नियुक्ति या बने रहना- क्या इस धारा को लागू करते समय पद धारण करने वाले कुलपति पर लागू हो - धारा 9-ए के प्रावधान - क्या भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद* 14 *का उल्लंघन करने वाले राज्यपाल के लिए* लागू होता है*। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति - अनुच्छेद* 361 (1) में परिकल्पित प्रतिरक्षा - *क्या चांसलर के रूप में कार्य करने वाले राज्यपाल के लिए उपलब्ध है।*

अभिनिर्णीत किया गया कि:

1) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों के संविधि 4 के खंड (7) के तहत, कुलाधिपति सक्षम है और उसे कुलपति के कार्यकाल का नवीनीकरण करने की शक्ति है;

2) यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुलाधिपति ने यह शब्द निर्धारित करने में अपने अधिकार के दायरे में काम किया था कि याचिकाकर्ता की शर्तों का नवीनीकरण किया जाएगा और याचिकाकर्ता ने उस वादे / आश्वासन पर काम किया था और विधान सभा से अपनी सीट से इस्तीफा देकर अपनी स्थिति बदल दी थी। ऐसे मामले में एस्टोपेल को बनाए रखना होगा, भले ही यह भविष्य के आश्वासन पर आधारित हो क्योंकि प्रोमिसर कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा रखता था और अपने वादे पर कार्रवाई करने का इरादा रखता था जिसके परिणामस्वरूप उस पर कार्रवाई की गई थी। यह एक वास्तविक वादा था Pronu.se बाध्यकारी होने का इरादा था, जिसका उद्देश्य कार्य

करना था और वास्तव में उस पर कार्रवाई की जानी थी;

3) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की धारा 9-ए के प्रावधान न केवल उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्हें अध्यादेश की घोषणा के बाद कुलपति नियुक्त किया जाता है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो प्रख्यापन की तारीख को कार्यालय में हैं;

4) शब्द 'जारी रखें ... यदि उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 9-ए भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि ये केवल एक और एक व्यक्ति के नुकसान के लिए बनाए गए हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसका कार्यकाल कुलाधिपति द्वारा दिए गए वादे / आश्वासन के परिणामस्वरूप नवीनीकृत किया जाना था;

5) कुलाधिपति द्वारा संविधि के तहत प्रयोग और निष्पादित शक्तियों और कर्तव्यों का राज्यपाल के कार्यालय की शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है;

6) भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के उपखंड (1) में परिकल्पित कोई पूर्ण प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शक्तियों का प्रयोग करके या कर्तव्यों के पालन में किए गए कृत्यों के लिए राज्यपाल को उपलब्ध नहीं है। (पैरा 135)।

माननीय न्यायमूर्ति भूपिंदर सिंह ढिल्लों और माननीय न्यायमूर्ति एम.आर शर्मा *की खंडपीठ द्वारा मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर राय के लिए 10 दिसंबर,* 1980 *को एक बड़ी पीठ को मामला संधरभित किया गया। माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, माननीय न्यायमूर्ति एस.सी मित्तल और माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल की पूर्ण पीठ ने अंततः 16 सितंबर, 1981 को मेरिट के आधार पर मामले का फैसला किया है।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित की कृपा करे: –*

a) *परमादेश* की रिट या *कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिवादी संख्या 12 को आदेश दिया गया हो।* 1. 28 अक्तूबर, *1980* से शुरू होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल के नवीकरण को अधिसूचित करना।

b) *वैकल्पिक रूप से, घोषणा करें कि विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 4 (6) के तहत जारी 27 अक्टूबर, 1977* के आदेश में निर्धारित याचिकाकर्ता की नियुक्ति के नियमों और शर्तों के आधार पर, कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता का कार्यकाल 28 अक्टूबर, 1980 से तीन साल की अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाता है। *और प्रतिवादियों और उनके अधिकारियों और अधीनस्थों को 28 अक्टूबर, 1980 से शुरू होने वाले 3 साल की अवधि के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता के कामकाज में हस्तक्षेप न करने का आदेश देते हुए परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करना* ;

c) *लागू किए गए अध्यादेश को शून्य और असंवैधानिक मानते हुए रद्द करें और एक रिट ऑफ* मैंडमस *या कोई अन्य उपयुक्त रिट,*

निर्देश या आदेश जारी करें जिसे यह न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, अधीनस्थों और सेवकों को आदेश देता है कि वे याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह से लागू अध्यादेश के प्रावधानों को लागू न करें;

d) आक्षेपित को निरस्त करें। शून्य और असंवैधानिक के रूप में कार्य करें और इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले इस *मामले की परिस्थितियों में एक रिट या कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करें, जिसमें प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, अधीनस्थों और सेवकों को याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह से लागू अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने का आदेश दिया जाए;*

e) इस याचिका की लागत और उससे उत्पन्न या उसके आनुषंगिक कार्यवाही; और

f) ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

पी. पी. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, जे. एस. मलिक, बुल्गानिन दौलता, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए।*

यू.डी. गौर, महाधिवक्ता, हरियाणा, बी.ऍल. गुलाटी, डी.ए., हरियाणा, उत्तरदाताओं 2 व 3 *के लिए।*

वाई. एस. चिताले, साधना राम चंद्रन, अधिवक्ता, के साथ, *उत्तरदाता संख्या* 1. *के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन:

1) श्री हरद्वारी लाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें हरियाणा के अध्यादेश संख्या 5 सन 1980 (इसके बाद 'अध्यादेश' कहा जाता है) और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 (हरियाणा अधिनियम संख्या 40 सन 1980) (इसके बाद 'संशोधन अधिनियम' कहा जाता है) की वैधता और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है और प्रतिवादी नंबर 1 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति (इसके बाद विश्वविद्यालय कहा जाता है) के रूप में अपना कार्यकाल नवीनीकृत करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी करने की प्रार्थना भी की है।

2) विवाद की मूल्याँकन करने के लिए, याचिका में लगाए गए आरोपों का विवरण देना आम तौर पर उचित है, लेकिन जहां तक वर्तमान याचिका का संबंध है, मुझे लगता है कि इस स्तर पर ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है और यह पर्याप्त होगा यदि प्रस्तावना के रूप में कुछ तथ्यों का उल्लेख किया जाए, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैं।

3) श्री हरद्वारी लाल, याचिकाकर्ता, को 28 अक्टूबर, 1977 को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता जून, 1977 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे और उन्होंने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति श्री एच.एस बरार के कहने पर अक्टूबर, 1977 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या रोहतक में विश्वविद्यालय के कुलपति पद को स्वीकार करने के लिए विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था,

जिन्होंने उन्हें हरियाणा में शिक्षा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अक्टूबर, 1977 के तीसरे सप्ताह के दौरान विशेष रूप से आमंत्रित किया था।

4) याचिका में आगे कहा गया है कि प्रस्ताव को आकर्षक बनाने और याचिकाकर्ता को राजनीति छोड़ने और विधानसभा में अपनी सीट छोड़ने के लिए राजी करने के लिए, जिसके लिए वह छह साल के लिए चुने गए थे, केवल चार महीने पहले, श्री एचएस बरार ने कुरुक्षेत्र और रोहतक विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए वैधानिक अधिकार प्राप्त किया और उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों को अपने विवेक से निर्धारित किया। याचिका में हरियाणा विधानसभा में अपनी सीट से इस्तीफा देने के लिए सहमत होने की स्थिति में मिलने वाली किसी भी पेंशन के अलावा 4,000 रुपये प्रति माह का वेतन देने की पेशकश की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने हरियाणा और पंजाब में कुलपतियों के सामान्य वेतन से अधिक वेतन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और रोहतक मे कार्यभार संभालने के लिए राजनीति छोड़ने पर इस शर्त पर सहमत हो गए कि (i) उसे कम से कम छह वर्ष का कार्यकाल मिलेगा ताकि वह नए विश्वविद्यालय का निर्माण कर सके और (ii) सरकार द्वारा उसके निर्धारित कार्यकाल के दौरान उस पर जोर नहीं दिया जाएगा।

5) यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन कुलाधिपति ने बताया कि रोहतक विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों के संविधि 4 के खंड (7) के प्रावधानों के अनुसार, वह पहली बार में तीन साल की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी करेंगे, लेकिन संविधि 4 के खंड (6) के अधिकार के तहत उनके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले 'नियुक्ति के नियमों और शर्तों' में पहले शब्द को अनिवार्य रूप से नवीनीकृत करेंगे।

6) याचिकाकर्ता ने कारण बताए हैं कि उसे उपरोक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। याचिकाकर्ता ने आगे विवरण दिया है कि वह कड़ी मेहनत से जीती गई विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के लिए क्यों सहमत हुए, जिसे उन्होंने संयोग से 1977 के विधानसभा चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता था। उन्होंने राजनेताओं द्वारा विश्वविद्यालय के कामकाज में अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप का विवरण भी दिया है और तथ्यों से पता चलता है कि उन्हें कैसे परेशान करने और बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ भी दुर्भावना के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में उनके और प्रतिवादियों के बीच पहले हुए मुकदमे का भी जिक्र किया गया है। मैंने इन सभी आरोपों का विवरण नहीं दिया है क्योंकि मैं उचित समय पर इसका उल्लेख करूंगा- जब मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों से निपटूंगा।

7) यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने पहले कार्यकाल के नवीकरण के अधिकार के रूप में हकदार था, लेकिन उस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को 13 अक्टूबर, 1980 को यह याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें याचिकाकर्ता को 28 अक्टूबर, 1980 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल के नवीकरण को अधिसूचित करने के लिए परमादेश कमांडिंग प्रतिवादी नंबर 1 की रिट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि चूंकि उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर, 1980 को समाप्त होने वाला था, इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में बने रहने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाए। प्रस्ताव का नोटिस जारी करने के बाद, याचिका को 14 अक्टूबर, 1980 को बेंच द्वारा डीबी में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, यह आदेश दिया गया था कि याचिका का निर्णय आने तक सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

8) याचिका पर सुनवाई होने से पहले, हरियाणा के राज्यपाल ने 1 नवंबर, 1980 को अध्यादेश संख्या 5 सन 1980 जारी किया, जिसके द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की धारा 9 के बाद, धारा 9-ए को जोड़ा गया जो निम्नानुसार है: –

"कुलपति और प्रति-कुलपति की अधिकतम आयु: किसी भी कानून, अनुबंध या संविधियों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद,

किसी भी व्यक्ति को कुलपति या प्रति-कुलपति के कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, यदि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है"।

उपर्युक्त अध्यादेश के आधार पर, राज्य की ओर से 4 नवंबर, 1980 को इस न्यायालय में एक आवेदन (सीएम नंबर 2010 सन 1980) दायर किया गया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि रिट याचिका निरर्थक हो गई है और इसे खारिज कर दिया जाए लेकिन उस आवेदन को खारिज कर दिया गया और डिवीजन बेंच द्वारा मामले की सुनवाई की गई। यह देखते हुए कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे, इस मामले को 10 दिसम्बर, 1980 को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने के लिए भेजा गया था। 26 दिसंबर, 1980 को अध्यादेश को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 (हरियाणा अधिनियम संख्या 40 सन 1980) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चूंकि अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था और याचिका दायर करने के बाद संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की अनुमति दी गई थी। अब 19 फरवरी, 1981 को दायर की गई संशोधित याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने अध्यादेश और संशोधन अधिनियम की वैधता और संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।

9) याचिका को सभी प्रतिवादियों की ओर से चुनौती दी गई है। चांसलर, प्रतिवादी नंबर 1; हरियाणा के मुख्यमंत्री, प्रतिवादी नंबर 2 और हरियाणा राज्य की ओर से, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 के रूप मे अलग-अलग लिखित बयान दायर किए हैं ।

10) कुलाधिपति द्वारा दायर लिखित बयान में, इस आशय की प्रारंभिक आपत्तियां ली गई हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत संरक्षण के कारण उनके खिलाफ कोई रिट नहीं होगी, कि अध्यादेश संख्या 5 सन 1980 की वैधता की जांच करना केवल अकादमिक है क्योंकि संशोधन अधिनियम द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। यह कि जब तक किसी सांविधिक दायित्व का उल्लंघन न हो, संशोधन अधिनियम को *अधिकारहीन* घोषित किए बिना कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है और यह स्थापित कानून है कि विधायिका को कानून पारित करने के लिए प्रेरित करने वाला उद्देश्य वास्तव में यह घोषित करने में अप्रासंगिक है कि कानून कानून पारित करने के *लिए बाध्य करता है, यदि विधायिका कानून पारित करने में सक्षम है।*

11)गुण-दोष के आधार पर, याचिका में लगाए गए भौतिक आरोपों को खारिज कर दिया गया है और दृढ़ रुख यह है कि कार्यकाल का नवीनीकरण केवल तभी होता है जब पहला कार्यकाल समाप्त हो जाता है क्योंकि नवीकरण में यह माना जाता है कि पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद मामले पर नए सिरे से विचार करना चांसलर के पास विवेकाधीन है और उस समय कार्यकाल का नवीकरण नहीं हो सकता है। जब कुलपति को प्रारंभ में नियुक्त किया जाता है। *दुर्भावना* के आरोपों का जोरदार खंडन किया गया है।

12)हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपने लिखित बयान में कुछ इसी तरह की प्रारंभिक आपत्तियां ली हैं जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उठाई गई हैं। जहां तक गुण-दोष पर कही गई बातों का सवाल है, प्रतिवादी नंबर 2 ने उन्हें खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोपों का भी दृढ़ता से खंडन किया है ।

13)राज्य की ओर से दायर लिखित वक्तव्य में फिर से इसी प्रकार की प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई हैं। गुण-दोष के आधार पर, याचिका में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया है और तथ्यों को यह दिखाने के लिए सामने लाया गया है कि अध्यादेश जारी करना और संशोधन अधिनियम का अधिनियमन याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप नहीं था, बल्कि इस पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा पहले दिए गए सुझावों के आधार पर लिए गए नीतिगत निर्णय का परिणाम था। विश्वविद्यालयों का कार्यकरण, जिन्होंने

कुलपति पद के लिए पदधारी की अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण के विचार का समर्थन किया था।

14)याचिकाकर्ता ने उपरोक्त तीन लिखित बयानों की लंबी प्रतिकृति दाखिल करने की मांग की। जैसा कि प्रतिकृति में कई नए तथ्य उठाए गए थे, हमने याचिकाकर्ता को प्रतिकृति दायर करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि, बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील को प्रतिकृति से कुछ प्रासंगिक तथ्यों का संदर्भ देने की अनुमति दी गई थी जो फाइल विवाद को निर्धारित करने के लिए आवश्यक थे।

15)गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ता के वकील श्री पी. पी. राव द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह था कि फाइल पर रखे गए तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता परमादेश रिट जारी करने का हकदार था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 को 28 अक्टूबर, 1980 से तीन साल की अवधि के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल के नवीकरण को अधिसूचित करने का आदेश दिया गया था। श्री राव द्वारा यह तर्क दिया गया था कि विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों की संविधि 4 (7) के तहत, कुलपति द्वारा कानूनी रूप से तीन-तीन साल के दो कार्यकाल दिए जा सकते हैं क्योंकि उपरोक्त संविधि में कुलपति को नवीकरण की शक्ति उपलब्ध है और प्रारंभिक नियुक्ति के चरण में भी कुलपति द्वारा इस तरह की शक्ति का कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है। विकल्प में, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही चांसलर प्रारंभिक नियुक्ति के समय कार्यकाल के नवीकरण के बारे में निर्णय नहीं ले सकता है, तो भी तत्काल मामले में, वह (चांसलर) क़ानून 4 (6) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक कार्यकाल निर्धारित करके कि याचिकाकर्ता के कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा, कानूनी रूप से इस तरह के एक शब्द से बाध्य था और यह चांसलर के लिए खुला नहीं था, खासकर जब नियमों और शर्तों के अस्तित्व पर विवाद नहीं हुआ है, इस तरह के कार्यकाल को निर्धारित करने की अपनी शक्ति की वैधता को चुनौती देने के लिए। इसके अलावा, चांसलर ने इस तरह के एक कार्यकाल को निर्धारित करके याचिकाकर्ता से वादा किया कि उसके कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा, कि उस वादे पर काम करने वाले याचिकाकर्ता ने हरियाणा विधानसभा से अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके लिए वह छह साल की अवधि के लिए चुने गए थे और चांसलर को प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत पर याचिकाकर्ता के कार्यकाल को नवीनीकृत करने से इनकार करने से रोक दिया गया था। विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया था कि भले ही उनके उपरोक्त सभी तर्क अमान्य पाए जाएं, फिर भी, नवीकरण प्रदान करने में चांसलर की कार्रवाई को माना जाना चाहिए; संविधि 26 के तहत शक्ति के प्रयोग में छूट प्रदान करके।

16) श्री राव की उपरोक्त दलीलों के जवाब में, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील डॉ. चिताले ने प्रस्तुत किया कि नवीनीकरण की शक्ति वास्तव में नई नियुक्ति करने की शक्ति है, नवीनीकरण की शक्ति का उपयोग करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कि शब्द शब्द का नवीनीकरण करने से पहले कुछ सचेत विचार कर सकते हैं। खंड (7) के तहत अग्रिम नवीकरण या दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक नियुक्ति के समय कार्यकाल का नवीनीकरण; यह अनुमेय नहीं है, कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अधिकार नवीकरण के मामले के रूप में दावा नहीं कर सकता है और यह कि एक आदेश या अनुबंध द्वारा एक प्राधिकरण कानूनी रूप से भविष्य के विवेक के प्रयोग को अग्रिम रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है जब क़ानून स्वयं उचित समय पर भविष्य में इसके प्रयोग का सुझाव देता है।

17)डॉ. चिताले ने अपने उपरोक्त तर्क का समर्थन करने की भी मांग की, जिसमें कहा गया है कि संविधि 4 के खंड (6) और (7) में उपयोग की जाने वाली नियुक्ति के नियम और शर्तें और अवधि अलग-अलग हैं, कि नियम और शर्तों को प्रदान करना पूरी तरह से चांसलर के पास छोड़ दिया गया है, लेकिन एक कार्यकाल तय करने की शक्ति को चांसलर के विवेक पर नहीं छोड़ा गया है। खंड (7) द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए एक शब्द के रूप में प्रदान किया गया है। विद्वान वकील द्वारा तर्क देने का इरादा यह था कि खंड (6) के तहत, नियुक्ति के समय कुलपति के नियमों और शर्तों को निर्धारित करने में चांसलर की शक्ति पर कोई अधिकार नहीं डाला गया है, लेकिन कुलपति की शक्ति को संविधि के खंड (7)

द्वारा सीमित किया गया है क्योंकि उसके द्वारा तीन साल से अधिक समय तक कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है और यही कारण है कि शुरू में कुलाधिपति याचिकाकर्ता को केवल तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी कार्रवाई के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जो क़ानून के दायरे से बाहर है और यह दलील कि नवीनीकरण की अवधि को छूट की शक्ति का उपयोग करके चांसलर द्वारा प्रदान किया गया माना जाना चाहिए, पूरी तरह से अस्थिर है।

18) हमारे समक्ष पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा दी गई दलीलों की उचित समझ के लिए और यह पता लगाने के लिए कि कौन सा विवाद अधिक प्रशंसनीय है, अधिनियम और संविधि के कुछ प्रावधानों और पार्टियों की दलीलों का भी संदर्भ देना आवश्यक है।

19) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना मई, 1976 में रोहतक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 (हरियाणा अधिनियम संख्या 25 सन 1975) (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) द्वारा की गई थी। अधिनियम की धारा 3 में सरकार द्वारा पहले कुलाधिपति और पहले कुलपति की नियुक्ति का प्रावधान है, इसलिए न्यायालय, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के पहले सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इस धारा में आगे कहा गया है कि रोहतक विश्वविद्यालय एक कॉर्पोरेट निकाय होगा और संपत्तियों के अधिग्रहण, धारण और निपटान और अनुबंध करने की शक्ति के साथ एक सतत उत्तराधिकार और एक आम मुहर होगी और उक्त नाम से मुकदमा या मुकदमा दायर किया जा सकता है। धारा 4 उस क्षेत्र की सीमाओं का प्रावधान करती है जिसके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। धारा 5 विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कर्तव्यों का विवरण देती है। धारा 8 जिसके लिए विशेष रूप से संदर्भ दिया गया था, उन व्यक्तियों का पदनाम देता है जो विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे। इसमें कुलाधिपति और कुलपति के नाम भी शामिल हैं। धारा 9 में यह प्रावधान है कि कुलाधिपति के अलावा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की विधि और कार्य संविधियों और अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जहां तक वे अधिनियम में विहित नहीं हैं। धारा में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, जिस अवधि के लिए वे पद धारण करेंगे और ऐसे कार्यालयों में नैमित्तिक रिक्तियों को भरा जाना संविधियों द्वारा विहित होगा। धारा 19 में प्रावधान है कि कुलाधिपति किसी भी समय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई संविधियों, अध्यादेश और विनियमों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निदेश दे सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि उपधारा (1) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कहा जाएगा। धारा 22 में अधिकारियों और शिक्षकों की सेवा की शर्तों को निर्धारित किया गया है।

20) विश्वविद्यालय की पहली संविधियों पर आते हुए, हम पाते हैं कि संविधि 2 में प्रावधान है कि राज्यपाल विश्वविद्यालय का *पदेन* कुलपति होगा। संविधि 3 में कहा गया है कि कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और यदि उपस्थित हो तो डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और न्यायालय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। संविधि 4 इस मामले के उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क़ानून है। इस संविधि के खंड (1) से (5) कुलपति की स्थिति, उसकी शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। खंड (6) और (7), जिनका संदर्भ बार-बार दिया जाना होगा, को *विस्तार से प्रस्तुत किया जा सकता है* और निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है: -

"(6) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा निर्धारित निबंधनो और शर्तों पर की जाएगी।

(7) कुलपति आमतौर पर तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसकी अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।"

संविधि 5 प्रति-कुलपति से संबंधित है। एकमात्र अन्य संविधि जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता है, वह संविधि 26 है, जो कुलाधिपति को छूट की शक्ति प्रदान करता है और निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: –

"उपरोक्त विधियों के प्रावधानों के बावजूद, चांसलर असाधारण मामलों में सक्षम होगा, उसमें उल्लिखित किसी भी शर्त को शिथिल करने के लिए।

21)मामले के तथ्यों पर आते हुए, मैं पाता हूं कि श्री एम एल बत्रा को 9 अप्रैल, 1976 को इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। 18 अगस्त, 1977 को श्री बत्रा छुट्टी पर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति की खोज करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलाधिपति का चयन याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है, क्योंकि 25 अक्टूबर, 1977 को तत्कालीन कुलाधिपति श्री एच. एस. बरार द्वारा याचिकाकर्ता को एक पत्र (याचिका का अनुलग्नक पी-4) लिखा गया था, जिसमें लिखा है:-

"मेरे प्रिय चोधरी साहब,

जब आप दूसरे दिन मुझसे मिले, तो हमने हरियाणा में स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति और चीजों में सुधार की आवश्यकता के बारे में बात की। मैंने इस मामले पर और विचार किया है और मुझे लगता है कि प्रशासन और शिक्षा के अपने लंबे और विविध अनुभव के साथ, आप राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दे सकते हैं, यदि आप कुरुक्षेत्र या रोहतक दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी एक को कुलपति के रूप में लेना चाहते हैं।

मैं राजनीति में आपकी रुचि के बारे में जानता हूं। लेकिन, मैं महसूस करता हूं कि आप एम.एल.ए की तुलना में कुलपति के रूप में राज्य की बेहतर सेवा करने में सक्षम हो सकते हैं, संयोग से, जबकि विश्वविद्यालय में जाने के बाद भी आपके एम.एल.ए के रूप में बने रहने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, यह अधिक उचित प्रतीत होगा यदि आप विधानसभा में अपनी सीट से इस्तीफा देने और अपना सारा समय विश्वविद्यालय को देने के लिए खुद को राजी कर सकें।

मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बिना किसी देरी के मुझे अपना उत्तर देने दें। नमस्कार के साथ,

ईमानदारी से तुम्हारा,

एच. एस. बरार"

इस पत्र के प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने 26 अक्टूबर, 1977 को कुलाधिपति को एक जवाब भेजा, जो निम्नलिखित शब्दों में है:-

"आदरणीय राज्यपाल,

कृपया अपने पत्र संख्या 11/पीएस गोवर को देखें। (ख) कुरुक्षेत्र/रोहतक विश्वविद्यालयों के कुलपति पद के संबंध में दिनांक 25 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना सं 77/1116।

मेरे बारे में आपकी अच्छी राय से मैं बहुत प्रोत्साहित महसूस करता हूं और मैं सम्मानित महसूस करता हूं कि आप मुझे कुलपति के पद के लिए उपयुक्त मानते हैं।

मैंने व्यावहारिक रूप से लगभग 20 साल पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और मुझे अब इस पर वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे रोहतक जाना पसंद करना चाहिए। निस्संदेह, मैं यह मानता हूं कि :-

i. मुझे कम से कम छह वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि मैं इस नए विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकूं। विश्वविद्यालय के चार्टर में

जिस तीन वर्ष के कार्यकाल (सामान्यतः) का उल्लेख किया गया है, वह किसी भी निकाय के लिए संस्थान का निर्माण करने के लिए बहुत संक्षिप्त है;

ii. रोहतक में हालात अब तक अस्थिर रहे हैं। इस प्रकार, मुझे सरकार सचिवालय के हस्तक्षेप के बिना काम करने की अनुमति दी जाएगी।

मैं आपसे पूर्णत सहमत हूं कि यदि मैं विश्वविद्यालय जाता हूं तो एम.एल.ए के रूप में बने रहना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं विधानसभा से अपनी सीट से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को यह कहने के लिए लिख रहा हूं कि मेरा इस्तीफा 1 जनवरी, 1978 से लागू होने के रूप में लिया जाए।

नमस्कार के साथ,

तुम्हारा विश्वसनीय,

श्री हरद्वारी लाल"

याचिकाकर्ता से उपर्युक्त पत्र प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो निम्नलिखित शर्तों में है: -

"महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की अनुसूची में निहित प्रथम संविधियों के खंड 4 के उप-खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने श्री हरद्वारी लाई को तत्काल प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक का कुलपति नियुक्त किया है।

2. उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर, 1977 को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। खंड (6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति के नियम और शर्तें निर्धारित की थीं। वेतन और अन्य चीजों के लिए प्रावधान करने के अलावा, चांसलर ने एक कार्यकाल भी निर्धारित किया, जो निम्नानुसार है: –

"श्री हरद्वारी लाल पूर्णकालिक कुलपति होंगे और चांसलर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होंगे। नियुक्ति का कार्यकाल तीन साल की अवधि के लिए होगा, जिसका कार्यकाल नवीनीकृत किया जाएगा।"

22) याचिका में वे दलीलें दी गई हैं जिनके आधार पर श्री राव द्वारा गुण-दोष पर पहला विवाद उठाया गया था और जिन पर बहस के समय विशिष्ट संदर्भ दिया गया था, उन्हें निम्नानुसार पढ़ा गया है;

"पेराग्राफ 3(iv)- इस प्रस्ताव को आकर्षक बनाने के लिए और याचिकाकर्ता को राजनीति छोड़ने और विधानसभा में अपनी सीट से इस्तीफा देने के लिए राजी करने के लिए, जिसके लिए वह केवल चार महीने पहले छह साल के लिए चुने गए थे, श्री बरार ने रोहतक और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने और अपने विवेकाधिकार से निर्धारित करने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान

किया। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तों में, याचिकाकर्ता को 4,000 रुपये प्रति माह का वेतन देने की पेशकश की गई, जो किसी भी पेंशन से अलग है जो उन्हें हरियाणा विधानसभा में अपनी सीट से इस्तीफा देने के लिए सहमत होने की स्थिति में मिल सकती है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा और पंजाब के कुलपतियों के सामान्य वेतन से अधिक वेतन स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन रोहतक में कार्यभार संभालने के लिए राजनीति छोड़ने के लिए इस शर्त पर सहमत हुए कि (ए) उन्हें नए विश्वविद्यालय का निर्माण करने में सक्षम बनाने के लिए कम से कम छह साल का कार्यकाल मिलेगा, और (बी) उन्हें सरकार द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अपने निर्धारित कार्यकाल के दौरान।

बराड़ ने बताया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के संविधि 4 के खंड (7) के प्रावधानों के अनुसार, वह पहली बार में 3 साल की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी करेंगे , लेकिन संविधि 4 के खंड (6) के अधिकार के तहत उनके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले "नियुक्ति के नियमों और शर्तों" में पहले शब्द को अनिवार्य रूप से नवीनीकृत करेंगे।

कुलाधिपति के रूप में श्री बरार को प्रथम संविधियों की संविधि 26 के तहत संविधियों के किसी भी उपबंध में छूट देने का सांविधिक अधिकार था।

* * * * * * * *

याचिकाकर्ता को उपरोक्त आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए मजबूर होने के कारण निम्नलिखित थे:-

a) विश्वविद्यालय की स्थापना केवल 18 महीने पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्पष्ट सलाह के खिलाफ की गई थी, और अभी तक आयोग द्वारा किसी भी केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके बिना कोई भी विश्वविद्यालय अपनी पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता था। वास्तव में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान भी रोक दिया था। हरियाणा सरकार द्वारा निर्मित क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, रोहतक, विश्वविद्यालय का आधार, अप्रैल, 1976 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक हिस्से के रूप में प्राप्त कर रहा था। याचिकाकर्ता यह भी जानता था कि पहले नामित कुलपति (डॉ. पी. एन. छुटानी) को हटा दिया गया था, वास्तव में पदभार संभालने से पहले ही, दूसरे (श्री एमएल बत्रा) को उनके पहले कार्यकाल की समाप्ति से बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था, एक प्रति-कुलपति (डॉ. जेडी सिंह) को कुलपति को बाहर निकालने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, जिसके लिए उन्हें (डॉ. जे. डी. सिंह) को कार्यवाहक नियुक्त किया गया था। और उन्होंने (प्रति-कुलपति) अपने कार्यवाहक कुलपति के 9 सप्ताह के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय को एक संकीर्ण और अनुभागीय संस्थान में बदल दिया था। मेडिकल कॉलेज, रोहतक, जो पूर्ववर्ती क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र के साथ मिलकर एमडी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, एक बाहरी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जांच की छाया में काम कर रहा था। यहां तक कि विश्वविद्यालय के लिए साइट का सवाल अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार शिशु विश्वविद्यालय को कई समस्याओं और बाधाओं के साथ स्थापित किया गया था।

वही याचिकाकर्ता देख सकता है कि एक तीन साल की अवधि किसी भी मामले में उसके लिए आवश्यक संरक्षण हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ऑगियन अस्तबल को साफ करने के लिए और फिर विश्वविद्यालय को एक शून्य से बनाया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने अपने बलिदान को उचित नहीं समझा। पहले लंबाई की अवधि के आश्वासन के बिना व्यवसाय, उनके विचार में

पर्याप्त है।

* * * * * * * *

यह जानकर कि उन्होंने हाल के दिनों में हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक में कुलपतियों के साथ किए गए जर्जर और धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार के बारे में क्या किया, याचिकाकर्ता हरियाणा में कुलपति की नौकरी स्वीकार करने में बहुत संकोच कर रहा था। इसलिए, उन्होंने श्री जेएल हाथी के प्रस्ताव के लिए "हां" नहीं कहा था और बाद में पसंदीदा नौकरी स्वीकार करने के बारे में अपना मन बनाने से पहले अपने उत्तराधिकारी श्री एचएस बरार के साथ चीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मजबूर महसूस किया था। किसी भी मामले में, यह इस कारण से था कि याचिकाकर्ता ने अपने कार्यकाल की लंबाई के बारे में लिखित और बिना शर्त आश्वासन हासिल करने पर जोर दिया था। वास्तव में, उन्होंने कभी भी अपने पेशे को बदलने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, और रोहतक में कुलपति के रूप में शामिल होने के लिए चांसलर के निमंत्रण को कभी स्वीकार नहीं किया होगा, इसकी सभी उत्सुकता के बावजूद, अगर उन्हें स्पष्ट रूप से और बिना शर्त 6 साल का कार्यकाल नहीं दिया गया होता।

पैरा 3 (vi):

याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था, मूल रूप से छह साल के लिए, और उसकी सेवा / नियुक्ति के अन्य नियमों और शर्तों के बारे में, जैसा कि ऊपर (v) में वर्णित है, औपचारिक रूप से तब दिया गया था जब (a) श्री बरार, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने याचिकाकर्ता को एक औपचारिक पत्र लिखकर उन्हें इस सलाह के साथ नियुक्ति की पेशकश की थी कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को अपना सारा समय देने के लिए राज्य विधानसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है और (b) याचिकाकर्ता ने औपचारिक रूप से उन स्पष्ट शर्तों पर नियुक्ति स्वीकार कर ली, जिनका उन्होंने पहले मौखिक रूप से उल्लेख किया था और जिसके लिए श्री बरार ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपनी वैधानिक क्षमता में, और विश्वविद्यालय के पहले संविधियों के संविधि 4 (6) और संविधि 26 के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों के आधार पर, विश्वविद्यालय के अधिनियम का एक अभिन्न अंग है। बिना शर्त सहमत हो गए थे। बदले में, याचिकाकर्ता इस्तीफा देने के लिए सहमत हो गया और वास्तव में हरियाणा विधानसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और इस शर्त से बंधे होने के लिए भी सहमत हुआ कि वह किसी अन्य पेशे में संलग्न नहीं होगा और अपना सारा समय विश्वविद्यालय को देगा, जो अभी भी सभी भ्रूण अवस्था में था और सावधानीपूर्वक देखभाल की जानी थी।

* * * * * * * *

(पैरा 3ए)- उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने और औपचारिक रूप दिए जाने के बाद भी, याचिकाकर्ता को श्री एचएस बरार को दो बार पत्र लिखने का अवसर मिला और इन दोनों महत्वपूर्ण संवादों में, यह बात कि याचिकाकर्ता छह साल के लिए कुलपति के रूप में रोहतक आए थे, को साहसिक विश्वास में डाल दिया गया था।

* * * * * * * *

22. उपरोक्त दलीलों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने लिखित बयान में लिया गया रुख निम्नलिखित प्रभाव का है: –

(iv) (a): महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की संविधि 26 के तहत, तत्कालीन कुलाधिपति प्रावधान में ढील दे सकते थे और उन्हें छह साल के लिए नियुक्त कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

b) यह अधिसूचना सं 2006 के तहत जारी किया गया है। एचआरबी-ईए-77/5545-5550, दिनांक 26 अक्टूबर, 1977, याचिकाकर्ता को केवल तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

c) वह नवीकरण। किसी कार्यकाल का कार्यकाल केवल पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद होता है। इससे यह माना जा सकता है कि पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस मामले पर नए सिरे से विचार करना चांसलर के पास विवेकाधीन है। प्रारंभ में कुलपति की नियुक्ति के समय कोई नवीकरण नहीं हो सकता है।

उप-पैरा (vi) के संबंध में, इस बात से इनकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति छह साल के लिए थी, इस बात से भी इनकार किया जाता है कि इसे कभी औपचारिक रूप दिया गया था। श्री एच एस बरार द्वारा नियुक्ति की पेशकश करते हुए दिनांक 25 अक्तूबर, 1977 के अनुलग्नक पी/4 में दिए गए पत्र में छह वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्ति का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं था। इस बात से इंकार किया जाता है कि नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करते समय याचिकाकर्ता ने कोई स्पष्ट शर्त रखी थी कि वह किसी भी स्पष्ट शर्त के आधार पर कुलपति पद के ब्फर को स्वीकार करेगा, जिसका उन्होंने पहले कथित रूप से मौखिक रूप से उल्लेख किया था या जिस पर श्री एचएस बरार सहमत हुए थे।

श्री एच. एस. बराड़ और याचिकाकर्ता द्वारा आदान-प्रदान किए गए पत्रों की प्रतियां और याचिकाकर्ता की एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति के रूप में नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना (अनुबंध पी/4 में) में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति छह साल की अवधि के लिए की गई है। 26 अक्टूबर, 1977 के मूल नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए है, 27 अक्टूबर, 1977 को जारी नियुक्ति के नियम और शर्तें दोहराती हैं कि नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होगी और यह आगे कहा गया है कि इस कार्यकाल का नवीकरण किया जाएगा। एम डी विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 4(7) को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है -

"कुलपति आमतौर पर तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसका कार्यकाल नवीनीकृत किया जा सकता है।"

ऊपर उद्धृत कानून के प्रावधान के साथ पढ़े गए नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए थी और तीन साल की इस अवधि के अंत में कार्यकाल का नवीनीकरण किया जा सकता है।

पैरा 3-ए की सामग्री को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि अनुलग्नक पी/5, पी/6 और पी/7 मेरे पूर्ववर्ती द्वारा प्राप्त किए गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी याचिकाकर्ता के तर्क को बरकरार नहीं रखा कि याचिकाकर्ता को छह साल के लिए नियुक्त किया गया था। इस बात से इनकार किया जाता है कि किसी भी समय श्री एच एस बरार ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता को 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया था।

एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक ने भी 5 नवंबर, 1977 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उसने अधिसूचित किया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तीन साल के लिए थी। इस अधिसूचना की एक प्रति अनुपत्र आर-1/1 में दी गई है।

पैरा 19 के संबंध में, उत्तर देने वाला प्रतिवादी इस बात से इनकार करता है कि कानून के किसी भी प्रावधान के तहत याचिकाकर्ता 28 अक्टूबर, 1977 से 3 साल की अवधि के लिए कुलपति के रूप में बने रहने का हकदार है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 3 साल के लिए थी और यह अवधि 27 अक्टूबर, 1980 को समाप्त हो गई है। जवाब देने वाला प्रतिवादी किसी भी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने या कानून के किसी भी प्रावधान के तहत कोई सक्षम अधिसूचना जारी करने के लिए किसी भी वैधानिक कर्तव्य के तहत नहीं है।

जवाब देने वाला प्रतिवादी पैरा 25 के संबंध में इनकार करता है कि याचिकाकर्ता को छह साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था और उनके कार्यकाल का नवीनीकरण न करना उनके नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने या सार्वजनिक पद से हटाने के बराबर नहीं है। जवाब देने वाला प्रतिवादी इस बात से इनकार करता है कि याचिकाकर्ता को तीन साल से अधिक समय तक पद पर बने रहने का कोई अधिकार है। जवाब देने वाला प्रतिवादी इस बात से इनकार करता है कि वह याचिकाकर्ता के कार्यकाल को बहुत कम मनमाने ढंग से समाप्त कर रहा है और आगे प्रस्तुत करता है कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा प्राकृतिक न्याय के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

पैरा नंबर 26 के संबंध में, जवाब देने वाला प्रतिवादी इस बात से इनकार करता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति का कार्यकाल शुरू में छह साल की अवधि के लिए था। जवाब देने वाले प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिसे परमादेश की रिट द्वारा लागू करने की आवश्यकता है।

23)पक्षकारों के विद्वान वकीलों की संबंधित दलीलों पर, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्धारण की आवश्यकता होगी, अर्थात्:

A. क्या संविधि के अंतर्गत कुलपति की शर्तों का नवीकरण करने की कोई शक्ति है?

B. कार्यकाल को नवीनीकृत करने का वादा करके, क्या चांसलर को वचन पत्र के सिद्धांत पर कार्यकाल को नवीनीकृत करने से इनकार करने से नहीं रोका गया है?

C. यदि ऐसी शक्ति मौजूद है, तो किस समय शब्द के नवीकरण की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है?

D. क्या कुलपति के रूप में किसी व्यक्ति की प्रारंभिक नियुक्ति के समय कुलाधिपति द्वारा नवीकरण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है?

E. यह मानते हुए कि नवीकरण की शक्ति का प्रयोग केवल पहले कार्यकाल की समाप्ति पर ही किया जा सकता है, तो क्या कुलपति द्वारा संविधि 26 के तहत छूट की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान में ढील देकर नवीकरण की ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है?

F. क्या याचिकाकर्ता के कार्यकाल का नवीनीकरण नहीं करने का कुलाधिपति का कदम *दुर्भावनापूर्ण है?*

24) इससे पहले कि मैं ऊपर उल्लिखित बिंदुओं पर चर्चा करूं, यह देखा जा सकता है कि यद्यपि पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा लंबी दलीलें दी गई थीं, फिर भी पूरे मामले पर गहन विचार करने पर, मुझे लगता है कि मामला इतना जटिल नहीं है और इसे सीधे संविधि 4 के खंड (6) और (7) और वचन पत्र के सिद्धांत का संदर्भ देकर तय किया जा सकता है।

25) जहां तक प्रथम बिंदु का संबंध है, यह सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से पेश हुए डा चिताले ने कार्यकाल के नवीकरण की अनुमति देने के लिए कुलाधिपति की क्षमता का विरोध नहीं किया। अन्यथा, संविधि 4 के खंड (7) के अवलोकन से पता चलता है कि चांसलर को कार्यकाल के नवीकरण की अनुमति देने की शक्ति है। इस प्रकार इस विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, चांसलर के पास कार्यकाल के नवीकरण को मंजूरी देने की शक्ति है।

26) बिंदु (बी) वचन पत्र के सिद्धांत की प्रयोज्यता से संबंधित है। इससे पहले कि मैं उस पहलू पर चर्चा करूं, संविधि 4 के खंड (6) और (7) के उपबंधों का विश्लेषण करना और डा चिताले के कुछ तर्कों पर ध्यान देना उचित होगा जिनके बारे में उनका मानना था कि इस मुद्दे पर कुछ प्रभाव पड़ा है। दोनों खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि कुलपति की नियुक्ति आमतौर पर तीन साल की अवधि के लिए कुलाधिपति द्वारा की जानी है और उनके (कुलाधिपति) द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ, कार्यकाल को नवीनीकृत करने की शक्ति के साथ। ये दोनों खंड स्वतंत्र हैं और किसी भी तरह से एक-दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं आते हैं। खंड (7) केवल उस कार्यकाल का मानकीकरण करता है जो अन्यथा कुलाधिपति की इच्छा पर अनुचित रूप से छोटा या लंबा हो सकता था। खंड (6) में नियुक्ति प्राधिकारी के नाम का उल्लेख है जिसे नियुक्ति के नियम और शर्तें निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति दी गई है।

27) खंड (7) में होने वाले शब्द 'नवीनीकृत हो सकते हैं' नवीकरण की शक्ति के अस्तित्व को इंगित करते हैं। अधिनियम और संविधियों की योजना के तहत, चांसलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केवल एक नाममात्र प्रमुख नहीं है। कुलपति के चयन में, वह एकमात्र न्यायाधीश है और उसकी राय सभी मामलों में अंतिम है। कुलपति का चयन करते समय, कुलाधिपति पर प्रबल होने वाला मुख्य विचार विश्वविद्यालय का हित है और यदि किसी दिए गए मामले में किसी व्यक्ति की सेवाओं को खंड (7) में निर्धारित अवधि से अधिक अवधि प्रदान किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो संविधि के तहत कुलाधिपति निश्चित रूप से हकदार होगा, यदि वह ऐसा चुनता है, तो यह निर्धारित करना और सहमत होना कि नियुक्त व्यक्ति की शर्तों को नवीनीकृत किया जाएगा।

28) कार्यकाल का नवीकरण करने की अवधि निर्धारित करके, चांसलर ने नियुक्त व्यक्ति से यह वादा करने के अलावा और कुछ नहीं किया है कि पद की अवधि समाप्त होने पर, उसका कार्यकाल नवीनीकृत किया जाएगा। संविधि के तहत उपलब्ध शक्ति के मद्देनजर इस तरह का वादा प्रारंभिक नियुक्ति के समय भी वैध रूप से किया जा सकता है। आश्वासन देकर, कुलाधिपति वास्तव में प्रारंभिक नियुक्ति के समय कार्यकाल का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। वह केवल एक वादा कर रहे हैं। वास्तविक नवीकरण का कार्य केवल तभी किया जाना चाहिए जब उस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाती है, जो शर्तों की समाप्ति की तारीख से कुछ महीने या कुछ दिन पहले जारी की जा सकती है। यह केवल तभी है कि कार्यकाल का वास्तविक नवीकरण होगा।

29) जैसा कि विवाद से स्पष्ट है, डॉ. चिताले द्वारा दिया गया मुख्य जोर इस सिद्धांत पर था कि कार्यपालिका, अनुबंध या आदेश द्वारा, वैधानिक विवेक के भविष्य के प्रयोग को अग्रिम रूप से आगे नहीं बढ़ा सकती है, जहां कानून स्वयं भविष्य में उचित समय पर अपने प्रयोग पर विचार करता है- विद्वान वकील के अनुसार, शब्द में "नवीनीकृत किया जाएगा" शब्द को "नवीनीकृत किया जा सकता है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि क़ानून अधिकृत नहीं करता है। प्रारंभिक नियुक्ति के समय नवीकरण की शक्ति का प्रयोग और 'नवीनीकृत किया जाएगा' शब्द शायद ही बाध्यकारी होंगे; अन्यथा विवेकाधिकार का मामला मजबूरी के मामले में शामिल हो जाएगा।

30) डा चिताले ने तमिलनाडु राज्य *बनाम* मैसर्स हिंद स्टोर आदि[1] *के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकृषित किया था*। इस प्रस्ताव के लिए कि नवीकरण का आदेश पारित करने से पहले, पदधारी के काम और कुछ अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस प्रासंगिक अंश पर भरोसा किया गया था, वह रिपोर्ट के पृष्ठ 250 पर है और निम्नानुसार है:

> पीठ ने कहा, 'विचार के लिए अगला सवाल यह है कि क्या पट्टों के नवीकरण के आवेदनों पर विचार करते समय नियम 8-सी लागू होता है। तर्क यह था कि नियम 9 ने ही पट्टे देने के लिए मानदंड निर्धारित किए थे और इसलिए नियम 8-सी को सीमित किया जाना

[1] 1981 एस.सी.ए.एल.ई. 237.

चाहिए,) पहली बार में पट्टे देने के लिए अपने आवेदन में। हम अधीनता के बल को देखने में असमर्थ हैं। नियम 9 यह स्पष्ट करता है कि केवल पूछने के लिए नवीकरण स्वचालित रूप से प्राप्त नहीं किया जाना है। नवीकरण के लिए आवेदक को विशेष रूप से सरकार को संतुष्ट करना है कि नवीकरण खनिज विकास के हित में है और मामले की परिस्थितियों में पट्टे की राशि उचित है। इन शर्तों को उन मानदंडों के अतिरिक्त पूरा किया जाना चाहिए जो पहली बार में पट्टा प्रदान करते समय लागू होते हैं, जिन्हें नवीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप से अपनाया जाता है। पहली बार में लागू मानदंडों को लागू नहीं करने से बेतुके परिणाम हो सकते हैं- यदि गौण खनिजों के खनन में निजी उद्यमियों के प्रदर्शन को देखने के बाद प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप विशेष खनिज संसाधनों के संरक्षण के हित में निजी क्षेत्र में पट्टे देने को रोकने का निर्णय लिया जाता है, यदि बदले हुए दृष्टिकोण की परवाह किए बिना निजी उद्यमियों को नवीकरण प्रदान किया जाता है तो मांगी गई वस्तु की प्राप्ति निराश होगी। वास्तव में, पट्टों के नवीकरण के लिए आवेदकों में से कुछ स्वयं वे व्यक्ति हो सकते हैं जो बदले हुए दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार हैं। बदले हुए दृष्टिकोण की परवाह किए बिना उद्यमियों के पक्ष में पट्टों का नवीनीकरण करना। वास्तव में, पट्टों के नवीकरण के लिए आवेदकों में से कुछ स्वयं वे व्यक्ति हो सकते हैं जो बदले हुए दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में पट्टों का नवीनीकरण करना नियम 8-सी को बनाना निरर्थक कवायद होगी। यह याद रखना चाहिए कि पट्टे के नवीकरण के लिए एक आवेदन, संक्षेप में, एक नई अवधि के लिए पट्टे के अनुदान के लिए एक आवेदन है। इसलिए हमारा मानना है कि पट्टों के नवीकरण के आवेदनों पर विचार करने में नियम 8-सी लागू होता है।

मेरे विचार से, उपरोक्त टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं और मामले के तथ्यों के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि यह विशेष नियमों, विशेष रूप से नियम 5 को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो पट्टे को नवीनीकृत करने से पहले पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बात करता है और उस समय का भी उल्लेख करता है जब नवीकरण के लिए आवेदन किया जाना था।

31) इस तर्क के समर्थन में कि कार्यपालिका भविष्य में सांविधिक विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए अनुबंध या आदेश के माध्यम से अग्रिम रूप से आदेश नहीं दे सकती है, जहां कानून स्वयं भविष्य में अपने प्रयोग पर विचार करता है, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों और पाठ्य-पुस्तकों पर भरोसा किया था: -

एम्फीट्राइट एबॉलगेट अमफिटरिते बनाम आर [2], एंटेनिया बटिगीग *बनाम* स्टीफन एच क्रोसे, [3] रैंसम एंड लक, लिमिटेड *बनाम* सर्बिटन बोरो काउंसिल[4], *विलियम कोरी एंड सन, लिमिटेड बनाम सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन*[5], *हॉवेल बनाम* फालमाउथ बोट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड [6] क्राउन *लैंड्स बनाम पेज*[7], साउथेंड-ऑन-सी कॉर्पोरेशन *बनाम होडासन* (विकफर्ड) *लिमिटेड*[8], *कुडगेन* रूटाइल (*नंबर 2*) प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम चॉक [9], *एंसेट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज (ऑपरेशंस) प्राइवेट लिमिटेड* बनाम ऑस्ट्रेलिया और अन्य के राष्ट्रमंडल के *खिलाफ* [10], हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, 5 वां संस्करण। (1) पैरा 34, पृष्ठ 36, *डी स्मिथ की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा,* 4 वां संस्करण।

---

[2] (1921) ऑल ई. आर. Rep.542
[3] ए.आई.आर. (34) 1947 पी.सी. 29:
[4] (1949) 1 ऑल ई. आर. 185
[5] (1951) 2 ऑल ई. आर. 85
[6] (1051) 2 ऑल ई. आर. 278.
[7] (1960)2 ऑल. ई. आर. 726.
[8] (1961) 2 ऑल. ई.आर. 46.
[9] (1977) 17 ऑस्ट एल.आर 513.
[10] (1974) 3 ऑस्ट एल. आर. 438.

मैं इन निर्णयों पर व्यक्तिगत रूप से विचार करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि उनमें से अधिकांश पर विचार किया गया है और उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों में उनका उल्लेख किया गया है, जिन पर मैं वर्तमान में ध्यान दूंगा।

32) इसके अलावा, मुझे लगता है कि उपरोक्त निर्णय प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील के लिए कोई सहायता नहीं करते हैं क्योंकि वे एक तर्क का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं जो इस धारणा पर आगे बढ़ रहा है कि चांसलर ने नवीकरण की अपनी शक्ति का उपयोग ऐसे स्तर पर किया था जब यह कानून के तहत प्रयोग योग्य नहीं था और यह धारणा जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिना किसी आधार के।

33) एक तर्क यह भी दिया गया था कि नवीकरण एक नई नियुक्ति है और अनुदान और नवीकरण में कोई अंतर नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने *एमसी चोकालिंगम और अन्य बनाम वी मनिच*, वी *संगम और अन्य*[11], मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था। जिसमें रिपोर्ट के पैरा 17 में, यह इस प्रकार देखा गया है: -

> पीठ ने कहा, 'हम सीतलवाड़ की इस दलील को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस तरह के लाइसेंस के नवीनीकरण का मामला अनुदान से अलग है. नियम 13 को नियमों के भाग 1-ए में 'सामान्य' शीर्षक के साथ स्थान दिया गया है। अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) के तहत, लाइसेंसिंग प्राधिकरण तब तक लाइसेंस प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है। इसलिए हमें नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्रदान करने और नवीकरण के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नहीं मिलता है। इसलिए नियम 13 लाइसेंस देने के साथ-साथ नवीनीकरण पर भी स्पष्ट रूप से लागू होता है।

उपर्युक्त टिप्पणियों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के आलोक में लाइसेंस प्रदान करने और नवीकरण के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था। लेकिन वर्तमान मामले में जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए 'नवीनीकृत' शब्द का अर्थ होगा कि पदधारी को समान नियमों और शर्तों पर और सेवा की निरंतरता के सभी लाभों के साथ एक और कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए। यदि 'नवीनीकृत' शब्द का अर्थ नई नियुक्ति है, तो नियुक्त व्यक्ति सेवा की निरंतरता के सभी लाभ खो देगा। लेकिन संविधि निर्माताओं की ऐसी मंशा नहीं है। इस संबंध में संदर्भ इस न्यायालय के एक असूचित निर्णय से किया जा सकता है *डॉ. एस.के. दत्ता* बनाम *कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति*[12]जिसमें नवीकरण के प्रश्न पर यह इस प्रकार देखा गया है -

> "कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पहले क़ानून का खंड 4 (VII) कुलपति को तीन साल के लिए कार्यालय का कार्यकाल देता है जो कार्यकाल 'नवीनीकृत' किया जा सकता है। शब्दकोश के अर्थ में नवीनीकृत का अर्थ है 'नया बनाना' और 'विस्तार' या 'जारी रखना'। राज्यपाल ने वास्तव में इस खंड के तहत कार्रवाई करते हुए 'विस्तार' शब्द का इस्तेमाल किया। इस स्थिति में हमारी राय है कि राज्यपाल की मंशा नई नियुक्ति करने की नहीं थी। इस खंड में भी यही परिकल्पना की गई है क्योंकि यह कार्यकाल के नवीकरण की बात करता है न कि नियुक्ति की। इस प्रकार याचिकाकर्ता नियमों के अनुसार गणना के अनुसार पूरे कार्यकाल (विस्तार के माध्यम से उसे दी गई अवधि सहित) के लिए छुट्टी का हकदार है।

डा चिताले द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा यह था कि खंड (6) में प्रयुक्त निबंधन और शर्तें खंड (7) में निहित शब्द शब्द 'शब्द' से भिन्न हैं, कि जहां तक पदावधि का संबंध है, खंड (7) में और खंड (6) में इसका प्रावधान किया गया है। कुलाधिपति द्वारा पदावधि के संबंध में कोई

---

[11] ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 104

[12] सी.डब्ल्यू. 1685/78 का निर्णय 22 मई, 1978 को हुआ।

नियम और शर्तें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। स्पष्ट दृष्टि से, यह बिंदु फिर से टिकाऊ नहीं है। नियुक्ति के नियम और शर्तों को निर्धारित करके, चांसलर ने अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है और न ही उन्होंने खंड (7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जो केवल उस कार्यकाल को निर्धारित करता है जिसके लिए आमतौर पर नियुक्ति की जाती है। कुलाधिपति ने कार्यकाल निर्धारित करके याचिकाकर्ता को केवल यह आश्वासन दिया है कि उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिलेगा और इस तरह के कार्यकाल को निर्धारित करना किसी भी वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।

34) खंड (6) और (7) के उपबंधों और डा चिताला द्वारा उठाए गए कुछ बिन्दुओं पर ध्यान देने के बाद, मैं अब वचन पत्र के सिद्धांत की प्रयोज्यता के प्रश्न की ओर ध्यान देता हूं जिस पर दोनों पक्षों की ओर से बहुत सारे तर्क दिए गए थे। पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने विदेशी न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों के कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए वचन पत्र के सिद्धांत की उत्पत्ति का पता लगाया, लेकिन मैं सभी मामलों को व्यक्तिगत रूप से निपटाने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों से पर्याप्त मार्गदर्शन उपलब्ध है, जिसका मैं वर्तमान में संदर्भ देने जा रहा हूं।

35) जिस प्रसिद्ध निर्णय में वचन पत्र के सिद्धांत को सबसे अधिक वाक्पटु व्याख्या मिलती है, वह *भारत-अफगान एजेंसियों के* मामले[13] में है, जिसमें शाह, जे ने अदालत की ओर से बोलते हुए रिपोर्ट के पृष्ठ 723 पर कहा: –

> "हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कार्यकारी आवश्यकता सरकार को अपने गंभीर वादों का सम्मान करने से रोकती है, जिस पर भरोसा करते हुए नागरिकों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत व्यक्ति को उसके अधिकार या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, सिवाय कानून के अधिकार के। यदि कार्यपालिका का कोई सदस्य किसी नागरिक को उसके अधिकार या स्वतंत्रता से वंचित करना चाहता है, तो कानून-सामान्य या क़ानून से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने के बजाय- न्यायालय पीड़ित नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्षम होंगे और वास्तव में बाध्य होंगे।

36) अगला मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह है *एमपी शुगर मिल्स* बनाम *राज्य*[14] आदि। इस निर्णय में भगवती, जे. ने सभी अंग्रेजी निर्णयों के साथ-साथ प्रोमिसरी एस्टोपेल के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करते हुए कहा है:

"इसलिए, इस निर्णय के परिणामस्वरूप अब कानून को तय किया जा सकता है, कि जहां सरकार यह जानते हुए या इरादा रखते हुए वादा करती है कि उस पर वादा करने वाले द्वारा कार्रवाई की जाएगी, और वास्तव में उस पर भरोसा करते हुए काम करने वाला अपनी स्थिति को बदल देता है, तो सरकार को वादे से बाध्य रखा जाएगा और वादा करने वाले के इशारे पर सरकार के खिलाफ वादा लागू किया जाएगा, इसके बावजूद कि वादे के लिए कोई विचार नहीं है और वादा संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा आवश्यक औपचारिक अनुबंध के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। यह प्राथमिक है कि कानून के शासन द्वारा शासित गणतंत्र में, कोई भी, चाहे वह कितना भी ऊंचा या नीचा हो, कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अन्य की तरह पूरी तरह से और पूरी तरह से कानून के अधीन है और सरकार कोई अपवाद नहीं है। यह वास्तव में संवैधानिक लोकतंत्र और कानून के शासन का गौरव है कि जहां तक कानून के दायित्व का संबंध है, सरकार एक निजी व्यक्ति के समान ही खड़ी है: सरकार एक निजी व्यक्ति के समान ही बाध्य है। वास्तव में यह देखना कठिन है कि किस सिद्धांत के आधार पर कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध कोई सरकार वचन पत्र के सिद्धांत से छूट का दावा कर सकती है? क्या सरकार यह कह सकती है कि वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है या वह "ईमानदारी और सद्भावना" के विचारों से बाध्य नहीं है? सरकार को अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय उच्च

---

[13] ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 718

[14] ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 621

"आयताकार ईमानदारी के मानक" पर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? एक समय था जब कार्यपालिका की आवश्यकता के सिद्धांत को सरकार के लिए अपने संविदात्मक दायित्वों को भी त्यागने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाता था, लेकिन इसे इस न्यायालय की शाश्वत महिमा के लिए कहा जाए, इस सिद्धांत को भारत-अफगान एजेंसियों के मामले (एआईआर 1968 एससी 718) में जोरदार रूप से नकारात्मक माना गया था और कानून के शासन की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि सरकार वचन पत्र के नियम की प्रयोज्यता से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकती है और इस आधार पर उसके द्वारा किए गए वादे को अस्वीकार नहीं कर सकती है कि इस तरह के वादे से उसकी भविष्य की कार्यकारी कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। यदि सरकार नहीं चाहती है कि कार्यकारी कार्रवाई की उसकी स्वतंत्रता बाधित या प्रतिबंधित हो, तो सरकार को यह जानते हुए या इरादा रखने का वादा करने की आवश्यकता नहीं है कि इस पर वादा करने वाले द्वारा कार्रवाई की जाएगी और वादा करने वाला इस पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति बदल देगा। लेकिन यदि सरकार ऐसा वायदा करती है और वादा करने वाला उस पर भरोसा करके कार्य करता है और अपनी स्थिति को बदल देता है, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार को किसी अन्य निजी व्यक्ति की तरह इस तरह के वादे करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कानून वैधता प्राप्त नहीं कर सकता है और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि यह समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप न हो और न्यायालयों और विधायिकाओं का निरंतर प्रयास, इसलिए, कानून और नैतिकता के बीच की खाई को बंद करना चाहिए और दोनों के बीच यथासंभव अनुमान लगाना चाहिए। वचन पत्र का सिद्धांत उस दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक योगदान है। लेकिन यह बताना आवश्यक है कि चूंकि वचन पत्र का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, इसलिए इसे तब प्राप्त करना चाहिए जब समानता की आवश्यकता हो। यदि सरकार द्वारा यह दर्शाया जा सकता है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वे बाद में सामने आए हैं, सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे के प्रति बाध्य करना असमान होगा, तो न्यायालय वादाकर्ता के पक्ष में इक्विटी नहीं बढ़ाएगा और सरकार के खिलाफ वादे को लागू नहीं करेगा। ऐसे मामले में वचन पत्र का सिद्धांत विस्थापित हो जाएगा क्योंकि, तथ्यों के आधार पर, समानता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकार ^ को उसके द्वारा किए गए वादे से बाध्य रखा जाए। जब सरकार यह दिखाने में सक्षम हो जाती है कि वादा किए जाने के बाद से जो तथ्य सामने आए हैं, उन्हें देखते हुए, यदि सरकार को वादे को पूरा करने की आवश्यकता होती है, तो सार्वजनिक हित पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा, तो अदालत को एक नागरिक से किए गए वादे को पूरा करने में सरकार के सार्वजनिक हित को संतुलित करना होगा, जिसने नागरिक को उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और उसकी स्थिति और सार्वजनिक हित को बदलने की संभावना है। यदि सरकार द्वारा वादे को पूरा करने की आवश्यकता थी तो पीड़ित होना और यह निर्धारित करना कि इक्विटी किस ओर निहित है। सरकार के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि जनहित के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को इस वादे को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए या यदि सरकार को इसका सम्मान करने की आवश्यकता होती है तो सार्वजनिक हित प्रभावित होगा। सरकार, जैसा कि शाह, जे. ने भारत-अफगान एजेंसियों के मामले में उल्लेख किया है, "आवश्यकता या औचित्य के कुछ अनिश्चित और अज्ञात आधार पर" वादे को पूरा करने के दायित्व से छूट का दावा नहीं कर सकती है, न ही सरकार अपने दायित्व का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा कर सकती है और इसे अस्वीकार कर सकती है। *एकपक्षीय* परिस्थितियों का मूल्यांकन". यदि सरकार दायित्व का विरोध करना चाहती है, तो उसे न्यायालय को यह बताना होगा कि बाद में कौन-कौन सी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण सरकार दायित्व से मुक्त होने का दावा करती है और यह न्यायालय को तय करना होगा कि क्या वे घटनाएं ऐसी हैं जो सरकार के विरुद्ध दायित्व को लागू करने के लिए इसे असमान बनाती हैं। सरकार को दायित्व से मुक्त करने के लिए केवल नीति में परिवर्तन का दावा पर्याप्त नहीं होगा; सरकार को यह दिखाना होगा कि बदली हुई नीति क्या है और इसका कारण और औचित्य भी है ताकि न्यायालय स्वयं निर्णय ले सके कि सार्वजनिक हित किस दिशा में निहित है और मामले की इक्विटी क्या मांग करती है। यदि न्यायालय सरकार द्वारा प्रस्तुत उचित और पर्याप्त सामग्री पर संतुष्ट हो जाता है कि जनहित के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को वादे से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा निरंकुश कार्य करने के लिए

स्वतंत्र होना चाहिए, तो न्यायालय सरकार के खिलाफ वादे को लागू करने से इनकार कर देगा। अदालत केवल इस पर कार्रवाई नहीं करेगी *इप्स दीक्षित* सरकार को यह निर्णय लेना है न कि सरकार को। यह कानून के शासन का सार है। सरकार पर यह दिखाने का भार होगा कि वादे के विपरीत कार्य करने वाली सरकार में जनहित इतना अधिक है कि सरकार को वादे से बंधे रखना असमान होगा और न्यायालय इस बोझ के निर्वहन में प्रमाण के अत्यधिक कठोर मानक पर जोर देगा। लेकिन यहां तक कि जहां ऐसा कोई अभिभावी सार्वजनिक हित नहीं है, तब भी सरकार के लिए यह सक्षम हो सकता है कि वह "उचित नोटिस देने पर, जिसे औपचारिक नोटिस की आवश्यकता नहीं है, वादा करने वाले को अपनी स्थिति फिर से शुरू करने का उचित अवसर देते हुए" वादे से पीछे हटने के लिए सक्षम हो सकता है । *यथास्थिति।* यदि, हालांकि, वादा करने वाला अपनी स्थिति को फिर से शुरू नहीं कर सकता है, तो वादा अंतिम हो सकता है और *विडे* अजयी बनाम *Briscoe*[15] ".

37) अंतिम मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह *एमआईएस में है। जीत राम शिव कुमार और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य*[16], जिसमें पूरे मामले के कानून पर विचार करने पर, सरकार के खिलाफ वचन पत्र के सिद्धांत की याचिका के दायरे को निम्नानुसार अभिव्यक्त किया गया था:

1. "राज्य के विधायी कार्यों के अभ्यास के खिलाफ वचन पत्र की याचिका उपलब्ध नहीं है।

2. सरकार को कानून के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।

3. जब सरकार का अधिकारी अपने प्राधिकार के दायरे से बाहर कार्य करता है, तो वचन-पत्र की दलील उपलब्ध नहीं होती है। *अति शक्तियों* का सिद्धांत लागू हो जाएगा और सरकार को अपने अधिकारियों के अनधिकृत कृत्यों से बाध्य नहीं ठहराया जा सकता है।

4. जब अधिकारी किसी योजना के तहत अपने अधिकार के दायरे में कार्य करता है और एक समझौते में प्रवेश करता है और एक अभ्यावेदन करता है और उस प्रतिनिधित्व पर कार्य करने वाला व्यक्ति खुद को एक हानिकारक स्थिति में डालता है, तो अदालत अधिकारी को योजना और समझौते या प्रतिनिधित्व के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता का हकदार है। अधिकारी मनमाने ढंग से अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकता है और आवश्यकता के कुछ अपरिभाषित और अज्ञात आधारों पर अपने वादे की अनदेखी नहीं कर सकता है या शर्तों को उस व्यक्ति के पूर्वाग्रह में बदल सकता है जिसने इस तरह के प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई की थी और खुद को एक हानिकारक स्थिति में डाल दिया था।

5. अधिकारी को समझौते की शर्तों को दूसरे पक्ष के पूर्वाग्रह से बदलना उचित होगा जैसे कि कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति या अन्य मामले जो राज्य के सामान्य हित पर असर डालते हैं।"

38) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए, मैं अब मामले के तथ्यों पर विचार करना जारी रखूंगा। 27 अक्टूबर, 1977 को कुलाधिपति ने खंड (6) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक शर्त निर्धारित की कि 'याचिकाकर्ता के कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा'। शब्द के शब्द और 'वसीयत' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चांसलर निश्चित रूप से अपने पास उपलब्ध

---

[15] (1964) 3 सभी। ई. आर. 556.

[16] ए.आई.आर. 1980 एससी. 1285

नवीकरण की वैधानिक शक्ति का उपयोग करके खुद को बांधना चाहते थे। इस शब्द को शामिल करके, चांसलर ने एक वादा किया और स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता के कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा। दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 के पत्र से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन चांसलर ने याचिकाकर्ता के मामले को एक असाधारण माना क्योंकि वह (याचिकाकर्ता) एक प्रख्यात शिक्षाविद् और सक्षम प्रशासक थे और उनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, दूसरा कार्यकाल देने का वादा किया गया था- ऐसा नहीं है कि चांसलर के पास इस तरह के शब्द को निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि यह शब्द खंडों (6) और (7) जो कुलाधिपति को कार्यकाल का नवीनीकरण करने की शक्ति प्रदान करते हैं और उन्हें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित करने की निरंकुश शक्ति भी प्रदान करते हैं जिन पर नियुक्ति की जानी है। कुलाधिपति द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें याचिकाकर्ता की सेवा की शर्तें बन गई हैं, जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता अपने कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहा है जो वैधानिक शक्ति के तहत निर्धारित शब्द से बह रहा है। सांविधिक विवेकाधिकार के भावी प्रयोग को पहले से ही लागू करने का सिद्धांत तब लागू होगा जब सरकार का पदाधिकारी किसी ऐसे कार्य के द्वारा सरकार को बाध्य करने का प्रयास करता है जिसकी कानून में अनुमति नहीं है। वचन पत्र की याचिका पर विचार करते समय, जो केवल प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ उपलब्ध है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अध्यादेश और अधिनियम की वैधता के बारे में चिंतित है, जो पूर्णत एक अलग और स्वतंत्र मुद्दा है। यही कारण है कि, इस मुद्दे पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया था, और इस मामले को पूरी तरह से प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील डॉ चिताले द्वारा निपटाया जाना था।

39) सरकार के विधायी या कार्यकारी कृत्यों के विरुद्ध वचन-पत्र के सिद्धांत की प्रयोज्यता का प्रश्न इस मामले में बहुत अधिक उठता है क्योंकि सरकार या उसके पदाधिकारियों के किसी भी विधायी या कार्यकारी कार्य के विरुद्ध कोई अनुरोध नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसे प्राधिकरण के खिलाफ दलील दी जा रही है जिसका संविधि के तहत अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वह प्राधिकरण जो किसी अन्य प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना अधिनियम और संविधि के प्रावधानों के तहत अपने कार्यों और कार्यों को करता है। तत्कालीन चांसलर द्वारा आश्वासन/वादा दिया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने कार्रवाई की और अपनी स्थिति बदल दी। जैसा कि पहले देखा गया था, चांसलर ने अपने अधिकार के दायरे से बाहर कार्य नहीं किया और ऐसा होने के नाते, वचन पत्र का सिद्धांत तत्काल मामले में पूरी कठोरता और बल के साथ आपूर्ति करेगा। जैसा कि डा चिताले के तर्क से स्पष्ट है, एकमात्र आधार जिस पर प्रतिवादी संख्या 10की ओर से इस मुद्दे को चुनौती दी जा रही है। मैं यह मानता हूं कि चांसलर के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय नवीकरण प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं थी। यह कुलाधिपति का मामला नहीं है कि यद्यपि तत्कालीन चांसलर द्वारा वादा किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने वैध और ठोस कारणों के कारण नवीनीकरण प्राप्त करने के लिए खुद को इक्विटी में अयोग्य कर दिया था, जो विश्वविद्यालय के हित में एक और कार्यकाल के लिए उनके बने रहने की अनुमति नहीं देता था। न्यायालय हमेशा इक्विटी में राहत देने से इनकार कर देगा यदि परिस्थितियां दिखाई जाती हैं कि कुलपति के रूप में किसी व्यक्ति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं होगा। कुलाधिपति शक्तिहीन नहीं है और विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। यहां तक कि पद के कार्यकाल के दौरान या नवीकरण की मंजूरी के बाद, कुलाधिपति हमेशा कुलपति को उसके कदाचार के लिए हटा सकता है, इस संबंध में *डॉ बूल चंद* बनाम *कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चांसलर*[17] के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखें, जहां यह इस प्रकार देखा गया है:

> "कुलपति नियुक्त करने की शक्ति का स्रोत विश्वविद्यालय अधिनियम में है: उस शक्ति का निवेश इसके साथ रोजगार निर्धारित करने की शक्ति रखता है; लेकिन शक्ति कर्तव्य के साथ युग्मित है। शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है;

[17] ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 292

इसका प्रयोग केवल अच्छे कारण के लिए किया जा सकता है, अर्थात। विश्वविद्यालय के हित में और प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप उचित जांच के बाद ही यह पाया जाता है कि पद धारक कुलपति के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य है।

* * * * * * * * *

"विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधि और अध्यादेश उन शर्तों को निर्धारित नहीं करते हैं जिनमें कुलपति की नियुक्ति निर्धारित की जा सकती है; न ही अधिनियम रोजगार निर्धारित करने के लिए चांसलर की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा निर्धारित करता है। लेकिन एक बार जब नियुक्ति एक क़ानून के अनुसरण में की जाती है, हालांकि नियुक्ति प्राधिकारी को रोजगार का निर्धारण करने से नहीं रोका जाता है, तो नियुक्ति को समाप्त करने का नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय केवल न्याय और निष्पक्ष खेल की मूल अवधारणा के अनुरूप तरीके से आयोजित जांच के परिणाम पर आधारित हो सकता है।

* * * * * * * * *

विश्वविद्यालय स्तर पर हमारी शैक्षिक व्यवस्था की योजना में, कुलपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि कुलपति को उचित जांच करने के बाद यह विचार था कि अपीलकर्ता के पूर्ववृत्त का कोई व्यक्ति कुलपति के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य था, तो यह असंभव होगा, जब तक कि यह दलील नहीं दी जाती है कि चांसलर ने दुर्भावनापूर्ण रूप से या संपार्श्विक उद्देश्य के लिए काम किया है, उच्च न्यायालय उस आदेश को अप्रभावी घोषित करे।

40) इस प्रकार, जब मामले के तथ्यों को सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और विशेष रूप से जीत राम के मामले में प्रतिपादित चौथे सिद्धांत के प्रकाश में देखा जाता है , तो यह स्पष्ट है कि चांसलर ने यह शब्द निर्धारित करने में अपने अधिकार के दायरे में काम किया था कि याचिकाकर्ता के कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा और याचिकाकर्ता ने उस वादे / आश्वासन पर काम किया था और अपनी स्थिति बदल दी थी। इस मामले में, एस्टोपेल को बनाए रखना होगा, भले ही यह भविष्य के आश्वासन पर आधारित हो क्योंकि प्रोमिसर कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा रखता था और अपने वादे पर कार्रवाई करने का इरादा रखता था; इसका नतीजा यह हुआ कि इस पर इतनी कार्रवाई की गई। यह एक वास्तविक वादा था - वादा बाध्यकारी होने का इरादा था, जिस पर कार्रवाई की जानी थी और वास्तव में उस पर कार्रवाई की जानी थी।

41) डॉ. चिताले द्वारा यह भी तर्क दिया जाना चाहिए कि इस मामले में, भले ही याचिका में किए गए सभी कथनों को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी याचिकाकर्ता ने एस्टोपेल का सवाल नहीं उठाया है; याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में वचन पत्र के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन याचिकाकर्ता और चांसलर के बीच हुए पत्राचार से, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चांसलर द्वारा याचिकाकर्ता को कोई वादा दिया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी। 25 अक्टूबर, 1977 के पत्र (अनुबंध पी/4) का उल्लेख करते हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दो विश्वविद्यालयों, कुरुक्षेत्र या रोहतक में से किसी एक के कुलपति पद को लेने के लिए केवल एक प्रस्ताव दिया गया था और आगे एक सुझाव दिया गया था कि हालांकि यह कानूनी बाधा नहीं हो सकती है, फिर भी यह उचित होगा यदि याचिकाकर्ता विधानसभा में सीट से इस्तीफा दे सकता है। याचिकाकर्ता के 26 अक्टूबर, 1977 के जवाब का हवाला देते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उनकी अपनी धारणा पर याचिकाकर्ता से केवल एक सुझाव आया था कि उन्हें चार्टर में उल्लिखित तीन साल की अवधि के रूप में छह साल मिलेंगे, किसी के लिए भी संस्थान का निर्माण करने के लिए बहुत संक्षिप्त होगा और याचिकाकर्ता द्वारा पत्र में उल्लिखित अन्य कारक यह था कि

उसे बिना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार सचिवालय का हस्तक्षेप।

42) वकील ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता ने सीट इसलिए नहीं दी क्योंकि उसे छह साल की अवधि मिलनी थी, बल्कि इसलिए कि वह विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना पूरा समय समर्पित करना चाहता था और छह साल की पेशकश कुलाधिपति द्वारा कभी नहीं की गई थी और न ही इस संबंध में याचिकाकर्ता के सुझाव को उनके (कुलाधिपति) द्वारा स्वीकार किया गया था। वकील ने कुलाधिपति को संबोधित पत्र (अनुलग्नक पी/6) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने लिखा था कि यदि वह (याचिकाकर्ता) अब विश्वविद्यालय में वांछित नहीं है, तो उसे उसके छह साल के शेष कार्यकाल के लिए उसकी परिलब्धियों का भुगतान किया जा सकता है और उसे कार्यमुक्त किया जा सकता है। इस पत्र से, विद्वान वकील ने इस बात पर जोर देना चाहा कि याचिकाकर्ता अपने कार्यकाल के नवीकरण की तुलना में धन प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। दिनांक 5 सितम्बर, 1980 (अनुलग्नक पृष्ठ 38 पृष्ठ 197), दिनांक 13 सितम्बर, 1980 (अनुलग्नक पृष्ठ 42, पृष्ठ 215), दिनांक 21 सितम्बर, 1980 (अनुलग्नक पृष्ठ 36, पृष्ठ 186), दिनांक 24 सितम्बर, 1980 (अनुलग्नक पृष्ठ 43, पृष्ठ 216), दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 के पत्रों (अनुलग्नक पृष्ठ 43, पृष्ठ 216), दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 (अनुलग्नक पृष्ठ 219) का भी संदर्भ दिया गया था। पृष्ठ 153) और दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 (अनुलग्नक पृष्ठ 40, पृष्ठ 212) से यह पता चलता है कि इनमें से किसी भी पत्र में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि याचिकाकर्ता ने विधान सभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उसे कुलपति के रूप में दो कार्यकाल या छह वर्ष का कार्यकाल मिलना था और इस संबंध में कुलाधिपति द्वारा वादा/आश्वासन दिया गया था।

43) विद्वान वकील ने इस सवाल पर कि विधान सभा से सीट से इस्तीफा देने से, याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, चांसलर की ओर से दायर हलफनामे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें याचिका में लगाए गए भौतिक आरोपों और जिन्हें वचन पत्र के संबंध में फैसले के पहले भाग में पुन: प्रस्तुत किया गया है, का खंडन किया गया है। वकील ने यह भी प्रस्तुत किया था कि एम.एल.ए के रूप में, याचिकाकर्ता ने परिलब्धियों के रूप में केवल 78,000 रुपये की राशि प्राप्त की होगी, जबकि तीन साल की अवधि के लिए कुलपति के रूप में, उन्होंने पहले ही वेतन के रूप में 1,59,000 रुपये (लगभग) की राशि प्राप्त की थी। यह राशि उन्होंने टीए और लीव एनकैशमेंट लाभों के अतिरिक्त प्राप्त की थी।

44) दूसरी ओर, श्री राव द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिका में वचन पत्र के सिद्धांत के सभी अवयवों की दलील दी गई थी; कि चांसलर द्वारा याचिकाकर्ता से एक वादा किया गया था कि वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्धारित नियमों और शर्तों में इस तरह के शब्द को निर्धारित करके उनके कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा और याचिकाकर्ता ने उस वादे पर काम किया और इस तरह अपनी स्थिति बदल दी; याचिकाकर्ता के नियम और शर्तें 27 अक्टूबर, 1977 को रखी गई थीं और उसी दिन उन्हें बता दी गई थीं; कि याचिकाकर्ता ने उस वादे के आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दिया था और इस तरह अपनी स्थिति को बदल दिया; अपने वादे से मुकरने से याचिकाकर्ता ने विधानसभा से अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके लिए वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि वह अब कुलपति नहीं हैं और राजनीति में भी अपनी पकड़ खो चुके हैं।

45) पूरे मामले पर हमारे विचारशील विचार करने के बाद, हमें प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील की दलील में कोई दम नहीं मिला। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वचन पत्र का सिद्धांत इस मामले के तथ्यों से आकर्षित है या नहीं, दलीलों, दस्तावेजों और अन्य कारकों को अलग से नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उनके प्रभाव को संचयी रूप से देखा जाना चाहिए। जब पूरे मामले को उसकी समग्रता में देखा जाता है, तो केवल एक ही संभावित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता को तत्कालीन चांसलर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उसका कार्यकाल नवीनीकृत

किया जाएगा और यह उस आश्वासन के आधार पर था कि याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय के कुलपति पद को स्वीकार करने और विधान सभा से अपनी सीट से इस्तीफा देने के बारे में सोचा। याचिकाकर्ता, एक सक्षम शिक्षाविद होने के अलावा, एक चतुर और अनुभवी राजनेता रहा है। अगर उन्हें यह आश्वासन या वादा नहीं दिया गया होता कि उन्हें कुलपति के रूप में दो कार्यकाल मिलेंगे, तो उन्होंने विधानसभा से अपनी सीट नहीं छोड़ी होती। याचिकाकर्ता की यह धारणा कि उसे छह साल का कार्यकाल मिलेगा, निराधार नहीं है क्योंकि इस तरह की धारणा के लिए आधार नियम और शर्तों से उपलब्ध है। यह ध्यान रखना उचित होगा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर रिटर्न में, इस बात से विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया है कि तत्कालीन चांसलर द्वारा याचिकाकर्ता को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था: बल्कि पूरा मामला मुख्य कानूनी तर्क पर आधारित है कि इस तरह के शब्द को शामिल नहीं किया जा सकता है और न ही तत्कालीन चांसलर प्रारंभिक नियुक्ति के समय अपने विवेक का उल्लंघन कर सकता है जो भविष्य में प्रयोग किया जा सकता था। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में, जिसके प्रासंगिक भाग को फैसले के पहले भाग में पुन: प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से वचन पत्र के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए नींव रखी है और उन दलीलों को इस शब्द से पूर्ण समर्थन मिलता है कि 'कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा' और बाद में याचिकाकर्ता और चांसलर के बीच पत्राचार हुआ। जिसमें याचिकाकर्ता चांसलर से उस अवधि के आधार पर कार्यकाल को नवीनीकृत करने का अनुरोध कर रहा था। इस बात का कोई फायदा नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने आश्वासन पर काम किया और अपनी स्थिति में बदलाव किया और यह अपने आप में वचन पत्र के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा, जैसा कि भीम सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा एक असूचित निर्णय में कहा गया है[18]। जिसमें यह इस प्रकार मनाया जाता है:-

> "पूर्व पृष्ठ 1 के आधार पर, राज्य (प्रतिवादी) ने अपीलकर्ताओं को एक नए विभाग (कृषि विभाग) में जाने के लिए प्रलोभन के रूप में कुछ विशिष्ट वादे किए। उनके कृषि विभाग में जाने के बाद, राज्य ने अपने पूर्व पृष्ठ 3 के आधार पर, पूर्व पृष्ठ 1 में किए गए पहले के वादे से पीछे हटने की मांग की। अपीलकर्ताओं ने राज्य द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया और उस पर आगे कार्रवाई की, अब उनकी उम्मीदों को पराजित नहीं किया जा सकता है जो वचन पत्र के सिद्धांत के आवेदन के कारण अधिकारों में बदल गए हैं। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, राज्य के लिए पीछे हटना खुला नहीं है। इसलिए, हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह पूर्व पृष्ठ 1 को लागू करे और ऐसे अधिकार और लाभ प्रदान करे जैसा कि इसके तहत वादा किया गया है।

इसके अलावा, यह कहना कि याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति को बदलना याचिकाकर्ता के पूर्वाग्रह के कारण नहीं किया था, फिर से सही नहीं है। याचिकाकर्ता के लिए, जो अनुभवी राजनेता रहे हैं, पूर्वाग्रह पैदा करना होगा क्योंकि कुलपति की नौकरी स्वीकार करके उन्हें अपना राजनीतिक करियर छोड़ना पड़ा। श्री राव द्वारा यह सही तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी संपर्क खो दिए हैं और अब उनके लिए अपने राजनीतिक करियर को फिर से स्थापित करना संभव नहीं हो सकता है, कि याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह का आकलन केवल इस तथ्य से नहीं किया जा सकता है कि उन्हें एमएलए के रूप में मिलने वाली परिलब्धियों की तुलना में कुलपति के रूप में अधिक वेतन मिला और तथ्यों के आधार पर एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता था। आश्वासन के आधार पर याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति बदल दी ताकि उसे नुकसान हो। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता ने तथ्यात्मक रूप से वचन पत्र के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए एक मामला बनाया है और उस संबंध में कोई सामग्री नहीं है।

46) मैंने बिंदु (ए) और (बी) पर जो विचार लिया है, उसमें बिंदु (सी), (डी) और (ई) पर किसी भी निष्कर्ष को रिकॉर्ड करना आवश्यक

---

[18] सीए 1949/79.

नहीं है।

47) यह मुझे बिंदु (एफ) पर श्री राव के तर्क पर लाता है, कि नवीकरण की अनुमति न देना चांसलर, प्रतिवादी नंबर 1 के याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह का परिणाम है और शर्तों को नवीनीकृत नहीं करने में प्रतिवादी नंबर 1 का कार्य *दुर्भावनापूर्ण है।*श्री राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि श्री जीडी तापसे ने 28 फरवरी, 1980 को हरियाणा के राज्यपाल ^ के पद का कार्यभार संभाला; कि इसके तुरंत बाद कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और यह बताना चाहते थे कि उनके पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए और इस संबंध में उन्होंने कुछ सुझाव भेजे थे, जिसकी एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक पी -22 के रूप में संलग्न की गई है; अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 ने एक बार याचिकाकर्ता को बताया था कि उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. हजेला को कैसे निलंबित कर दिया था; कि याचिकाकर्ता को कभी भी चांसलर से निजी तौर पर मिलने का कोई अवसर नहीं दिया गया; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों/पदों के आरक्षण के प्रश्न पर कुलाधिपति का याचिकाकर्ता से मतभेद था; कि कुलाधिपति ने एक श्री पी. एस. आजाद को न्यायालय में नामित करना चाहा जो याचिकाकर्ता को पसंद नहीं आया, जिसने 19 अगस्त, 1980 को कुलाधिपति को डीओ पत्र लिखा (अनुलग्नक पृष्ठ 29); कि फिर से याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय निकायों पर चांसलर द्वारा कुछ M.L.As के नामांकन के संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया; कि याचिकाकर्ता ने 9 सितंबर, 1980 को डीओ का एक पत्र लिखा (अनुलग्नक पृष्ठ 35) जिसमें कुलाधिपति द्वारा प्रेस को दिए गए बयान के बारे में फिर से अपना विरोध दर्ज कराया गया था, इस आशय से कि दुलत आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और प्रक्रिया में थी; कि चांसलर, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है और एक महाराष्ट्रियन है, चाहता था कि राज्य के श्री पाटिल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाए क्योंकि पाटिल भी अनुसूचित जाति के थे, लेकिन याचिकाकर्ता चांसलर को बाध्य नहीं कर सका; इसी तरह याचिकाकर्ता और कुलाधिपति के बीच एमडी कोर्स में प्रवेश के लिए आईएएस अधिकारी ज्ञान चंद के बेटे राजिंदर समोत्रा के प्रवेश के सवाल पर टकराव था और याचिकाकर्ता फिर से प्रतिवादी नंबर 1 के बेटे भरत तापसे को एमबीए कोर्स में अनुराग श्रीवास्तव को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था।

48) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता का दावा है कि कार्यकाल का नवीनीकरण नहीं करने में चांसलर की कार्रवाई *दुर्भावनापूर्ण है।* मुझे डर है, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत होने में असमर्थ हूं। कुलाधिपति ने अपने हलफनामे में सभी आरोपों से इनकार किया है। इसमें कोई लाभ नहीं हो सकता है कि कुलाधिपति को निश्चित रूप से संस्था का प्रमुख होने के नाते अपने सुझाव भेजने का अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को लगता है कि उनके अलावा, विश्वविद्यालय में किसी अन्य अधिकारी को प्रशासन में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए या कोई मूल्यवान सुझाव नहीं देना चाहिए। जिन दलीलों पर याचिकाकर्ता दुर्भावनापूर्ण होने के अपने आरोप को साबित करने के लिए निर्भर *करता* है, वे न केवल निराधार हैं, बल्कि कमजोर हैं। कुलाधिपति को न्यायालय में व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार है। उनके लिए कुलपति से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। कुलपति के साथ कुलपति के विचारों में हमेशा वास्तविक मतभेद हो सकते हैं। कुलाधिपति विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों के प्रवेश के संबंध में कुलपति को सिफारिशें भी कर सकता है। दुलत आयोग की रिपोर्ट पर दबाव बनाने के लिए बयान देने के संबंध में, याचिकाकर्ता यह भूल रहा है कि श्री जीडी तापसे ने राज्यपाल के रूप में यह बयान दिया होगा, न कि चांसलर के रूप में। कुलाधिपति कुलपति के अधिकार के अधीन नहीं है: बल्कि कुलपति के कृत्यों की हमेशा कुलाधिपति द्वारा जांच की जा सकती है चाहे वे अधिनियम, संविधि और अध्यादेश के चार कोनों के भीतर हों या नहीं। कुलपति कुलाधिपति को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि वह विश्वविद्यालय के मामलों के बारे में कैसा व्यवहार करेगा। इस मामले के दृष्टिकोण में, मुझे याचिकाकर्ता की दलील में कोई दम नहीं लगता कि चांसलर ने अपने कार्यकाल का नवीनीकरण

नहीं किया क्योंकि उनके खिलाफ पूर्वाग्रह था और मानते हैं कि *दुर्भावना* के आरोप निराधार हैं और प्रमाणित नहीं हुए हैं।

49) यह मुझे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश) की वैधता के खिलाफ दी गई चुनौती पर लाता है, जिसे हरियाणा के राज्यपाल ने 1 नवंबर, 1980 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रख्यापित किया था। और संशोधन अधिनियम जिसमें अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतस्थापित की गई थी -

> "9-ए। *कुलपति और प्रति-कुलपति की अधिकतम आयु:*
>
> किसी भी कानून, अनुबंध या संविधियों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को कुलपति या प्रति-कुलपति के कार्यालय में नियुक्त या जारी नहीं रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो, यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

अध्यादेश को तुरंत लागू होना था। इसके बाद 23 दिसंबर, 1980 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1975 अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम) अधिनियमित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया। संशोधन अधिनियम में धारा 9-ए, जिसे अधिनियम की धारा 9 के बाद जोड़ा गया है, बिल्कुल उसी भाषा में है जो अध्यादेश की भाषा में है। संशोधन अधिनियम में, ऐसी कोई तारीख नहीं है जिस दिन इसे लागू किया जाना था। इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (बी) को ध्यान में रखते हुए, संशोधन अधिनियम को उस तारीख से लागू माना जाएगा जब इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था यानी 26 दिसंबर, 1980।

50) अध्यादेश और अधिनियम की वैधता के संबंध में उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने से पहले, श्री राव के एक तर्क पर ध्यान दिया जा सकता है कि संशोधन अधिनियम की धारा 9-ए के प्रावधान केवल उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्हें अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दायर लिखित बयान में दिए गए कथन का उल्लेख किया, जिसमें याचिका के पैरा 30 (जी) में ली गई याचिका के जवाब में, यह इस प्रकार कहा गया है: –

> समिति की उपरोक्त सिफारिशों से स्पष्ट है कि कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। चूंकि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन में समय लगना था और 27 अक्तूबर, 1980 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति के कार्यालय में एक रिक्ति उत्पन्न हो गई थी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में कुलपति की एक और रिक्ति 5 अप्रैल, 1981 को उत्पन्न होनी थी, इसलिए सरकार द्वारा कुलपति की अधिकतम आयु के निर्धारण से संबंधित बिन्दु पर निर्णय लेना उचित समझा गया। .....".

उपरोक्त कथन के आधार पर, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय में पहले से ही एक रिक्ति मौजूद थी, उस रिक्ति को भरे जाने की संभावना थी और धारा 9-ए एक व्यक्ति की नियुक्ति को कवर करने के लिए थी, जिसे उस रिक्ति में किया जाना था जो पहले से ही अस्तित्व में आ गई थी, यानी 27 अक्टूबर को। 1980 याचिकाकर्ता की अवधि की समाप्ति पर। वकील ने धारा 9-ए की भाषा का विश्लेषण किया और कहा कि शब्द "आयु प्राप्त कर चुके हैं," उस व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे अध्यादेश की घोषणा के बाद नियुक्त किया गया था और जो अपने कार्यालय के कार्यकाल के दौरान आयु प्राप्त करेगा। वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता को जब कुलपति नियुक्त किया गया था, तब वह पहले से

ही 67 वर्ष का था और यदि धारा 9-ए के प्रावधानों को उस पर लागू किया जाना था, तो "प्राप्त हो गया है" शब्दों के बजाय, "प्राप्त हो गया था" शब्दों का उपयोग किया गया होगा। विद्वान वकील द्वारा आगे तर्क दिया गया था कि "जारी रखें" शब्द नई नियुक्ति पर लागू होंगे क्योंकि एक रिक्ति पहले से ही मौजूद थी और जब उस रिक्ति में नियुक्ति की जाएगी, तो अधिनियम की धारा 9-ए के प्रावधानों के तहत नियुक्त व्यक्ति कार्यालय में बने रहने का हकदार नहीं होगा, यदि वह, अपने कार्यकाल के दौरान, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। इस तथ्य पर बहुत जोर दिया गया कि प्रतिवादियों संख्या 2 और 3 की ओर से दृढ़ रुख अपनाया गया है कि 27 अक्टूबर, 1980 को एक रिक्ति अस्तित्व में आई थी जब याचिकाकर्ता ने अपने कार्यालय का प्रभार छोड़ दिया था और यदि अध्यादेश यह जानते हुए जारी किया गया था कि एक रिक्ति मौजूद है, तो धारा 9-ए के प्रावधान पर एकमात्र संभावित निर्माण यह होगा कि यह था। अध्यादेश के लागू होने के बाद नियुक्त किए जाने वाले पदधारी पर लागू होना।

51) पूरे मामले पर सोच-समझकर विचार करने के बाद, मुझे विद्वान वकील की दलील में कोई दम नजर नहीं आता। धारा के सादे विश्लेषण से, बिना किसी बाध्यकारी खंड के, यह पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति कुलपति या प्रति-कुलपति के पद पर नियुक्त या जारी नहीं रहेगा यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। जहां तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति की कार्यालय में नियुक्ति का संबंध है, इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि धारा बहुत स्पष्ट है। जिस प्रश्न के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, वह यह है कि "जारी रखें" शब्दों को क्या अर्थ दिया जाना चाहिए। यदि इन शब्दों की व्याख्या केवल लिखित कथन में दिए गए कथन के आधार पर की जानी है और ऊपर पुन: प्रस्तुत की जानी है, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क में कुछ दम हो सकता है, लेकिन सही व्याख्या के लिए जिसे शब्दों पर रखा जाना चाहिए 'जारी रखें' और 'प्राप्त कर लिया है' एक तथ्य जो रिकॉर्ड पर पेटेंट है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने मैंने इस न्यायालय में यह याचिका दायर की थी और राहत का दावा करते हुए कहा था कि प्रतिवादी नंबर 1 को अवधि को नवीनीकृत करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए और यदि यह राहत अदालत द्वारा दी जाती है, तो जिस तारीख को अध्यादेश जारी किया गया था, याचिकाकर्ता को कार्यालय में माना जाएगा। यद्यपि रिक्ति के अस्तित्व के बारे में राज्य द्वारा एक सकारात्मक रुख अपनाया गया है, फिर भी न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य याचिका की सफलता की स्थिति में उत्पन्न होने पर स्थिति को पूरा करना भी था। यदि धारा की भाषा गैर-बाध्यकारी खंड के बिना है और याचिकाकर्ता को तारीख पर कार्यालय में माना जाता है; यदि अध्यादेश की घोषणा का विश्लेषण किया जाता है, तो 'जारी रखना' शब्द आवश्यक रूप से उस व्यक्ति पर लागू होता है जो पद पर होता है और न केवल अध्यादेश की घोषणा के बाद की जाने वाली नियुक्तियों पर। इसमें शायद ही कोई संदेह हो सकता है कि अध्यादेश याचिकाकर्ता के मामले को कवर करने के लिए भी जारी किया गया था; अन्यथा गैर-बाध्यकारी खंड न केवल अनावश्यक है, बल्कि अर्थहीन भी है- इस शब्द को दूर करने के लिए गैर-बाध्यकारी खंड पेश किया गया है, जिसे चांसलर द्वारा उन नियमों और शर्तों में निर्धारित किया गया है जिनके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता की अवधि का नवीनीकरण किया जाएगा।

52) याचिकाकर्ता के वकील राव का यह कहना सही था कि अध्यादेश जारी रहने की तारीख को पद पर रहने वाले व्यक्ति पर 'जारी रहें' शब्द लागू होंगे और जैसा कि पहले कहा गया था, अगर याचिका सफल होती है, तो याचिकाकर्ता अध्यादेश जारी होने की तारीख को पद पर बना रहेगा।

53) विद्वान वकील का पूरा मामला इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि अध्यादेश जारी होने की तारीख को एक रिक्ति है, लेकिन जैसा कि

पहले देखा गया था कि इस याचिका के लंबित होने के तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस उदाहरण को लेकर इस मामले को और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, 27 अक्तूबर, 1980 के बाद और अध्यादेश के प्रख्यापन से पहले, किसी व्यक्ति को 64 वर्ष की आयु में तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था, तो क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि धारा के प्रावधान ऐसी नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे। जाहिर है, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति अध्यादेश की घोषणा की तारीख को पद पर बना हुआ है। इसी तरह, इस याचिका की सफलता की स्थिति में, याचिकाकर्ता अध्यादेश की घोषणा की तारीख पर पद पर बना रहेगा। इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, मुझे विद्वान वकील की इस दलील में कोई दम नहीं लगता कि धारा 9-ए के प्रावधान याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते हैं और अध्यादेश के लागू होने के बाद की गई किसी भी नियुक्ति पर लागू किए जाने चाहिए।

54) अब मैं अधिनियम और अध्यादेश की वैधता के संबंध में श्री राव द्वारा उठाए गए विवाद पर चर्चा करूंगा, जो संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित है।

55) अनुच्छेद 14 के दायरे और, प्रभाव क्योंकि यह भेदभावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण कानून के खिलाफ सभी व्यक्तियों की रक्षा करता है, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में चर्चा और व्याख्या की गई है। कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक। जिन्हें अग्रणी प्राधिकरणों के रूप में माना गया है, उनका उल्लेख निम्नलिखित किया जाना चाहिए: –

बुधन चौधरी और अन्य बनाम *बिहार राज्य*[19]; *श्री रेन कृष्ण डालमिया और अन्य बनाम श्री न्यायमूर्ति एस आर तेंदुलकर और अन्य*[20]।

बुधन चौधरी और अन्य के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने इस कानून का सारांश इस प्रकार दिया है -

"अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जबकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून को मना करता है, यह कानून के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। हालांकि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा को पास करने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) वर्गीकरण को एक समझदार भिन्नता पर स्थापित किया जाना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं और (ii) उस भिन्नता का उस वस्तु से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे कानून द्वारा प्राप्त किया जाना है। वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर स्थापित किया जा सकता है, अर्थात्, भौगोलिक, या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार। जो आवश्यक है वह यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णयों से यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद 14 न केवल ठोस कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निंदा करता है।

श्री रेन कृष्ण डालमिया और अन्य (सुप्रा), मे उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त परिच्छेद को उद्धृत करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की -

"ऊपर दिए गए सिद्धांत को लगातार अपनाया गया है और बाद के मामलों में लागू किया गया है। इस न्यायालय के निर्णय आगे स्थापित करते हैं-

a) कि एक कानून संवैधानिक हो सकता है, भले ही वह किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो, अगर कुछ विशेष परिस्थितियों या कारणों के कारण उस पर लागू होता है और दूसरों पर लागू नहीं होता है, तो उस एकल व्यक्ति को स्वयं द्वारा एक वर्ग के रूप में माना जा सकता

[19] एआईआर 1955 एससी 151
[20] ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 538

है;

b) किसी अधिनियमन की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और बोझ उस पर होता है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है;

c) यह माना जाना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से सराहना करती है, कि इसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट होने वाली समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और इसके भेदभाव पर्याप्त आधार पर आधारित हैं;

d) कि विधायिका नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता को सबसे स्पष्ट माना जाता है;

e) कि संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास को ध्यान में रख सकता है और तथ्यों के हर चरण को मान सकता है जिसे कानून के समय कल्पना की जा सकती है; और

f) यह कि जबकि विधायिका की ओर से मौजूदा शर्तों के बारे में अच्छी आस्था और ज्ञान माना जाना चाहिए, अगर कानून या आसपास की परिस्थितियों के सामने अदालत के ध्यान में कुछ भी नहीं लाया गया है, जिस पर वर्गीकरण को यथोचित रूप से आधारित माना जा सकता है, तो संवैधानिकता की धारणा को इस हद तक नहीं ले जाया जा सकता है, हमेशा यह मानते हुए कि कुछ व्यक्तियों या निगमों को शत्रुतापूर्ण या भेदभावपूर्ण कानून के अधीन करने के लिए कुछ अज्ञात और अज्ञात कारण होने चाहिए।

उपरोक्त सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लगातार ध्यान में रखना होगा जब उसे संवैधानिकता या किसी विशेष कानून को भेदभावपूर्ण और कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन करने वाला घोषित करने के लिए कहा जाता है।

12. इस न्यायालय के निर्णयों का बारीकी से अवलोकन करने पर, जिसमें उपर्युक्त सिद्धांत ोां को इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित और लागू किया गया है, यह भी पता चलेगा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत इसकी वैधता के प्रश्न पर विचार के लिए आने वाली संविधि को निम्नलिखित पांच वर्गों में से एक या अन्य में नहीं रखा जा सकता है: -

i. एक क़ानून स्वयं उन व्यक्तियों या चीजों को इंगित कर सकता है जिन पर इसके प्रावधान लागू करने का इरादा है और ऐसे व्यक्तियों या चीजों के वर्गीकरण का आधार क़ानून के चेहरे पर दिखाई दे सकता है या आसपास की परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है जो न्यायालय के संज्ञान में लाए गए हैं। इस तरह के क़ानून की वैधता या अन्यथा का निर्धारण करते समय न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या इस तरह के वर्गीकरण को यथोचित रूप से कुछ भिन्नताओं के आधार पर माना जा सकता है जो ऐसे व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रहने वाले लोगों से एक साथ अलग करता है और क्या इस तरह के अंतर का क़ानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से उचित संबंध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क़ानून के प्रावधान केवल किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर लागू होते हैं या केवल व्यक्तियों या चीजों के एक निश्चित वर्ग पर लागू होते हैं। जहां न्यायालय पाता है कि वर्गीकरण परीक्षणों को संतुष्ट करता है, न्यायालय कानून की वैधता को बरकरार रखेगा, जैसा कि *उसने चिरनजीतलाल* बनाम भारत संघ *(बी) (सुप्रा), बॉम्बे राज्य बनाम एफएन बलसारा (सी) (सुप्रा),* केदार नाथ

बाजोरिया *बनाम* पश्चिम बंगाल राज्य[21], *वीएम* सैयद मोहम्मद *एंड* कंपनी बनाम आंध्र राज्य[22] और *बुधन चौधरी* बनाम *बिहार राज्य (ए)* (सुप्रा) में *किया था।*

ii. एक क़ानून एक व्यक्ति या वस्तु या कई व्यक्तिगत व्यक्तियों या चीजों के खिलाफ अपने प्रावधानों को निर्देशित कर सकता है, लेकिन वर्गीकरण का कोई उचित आधार दिखाई नहीं दे सकता है, इसके सामने या आसपास की परिस्थितियों या सामान्य ज्ञान के मामलों से कम हो सकता है। ऐसे मामले में अदालत जबड़े को नग्न भेदभाव के उदाहरण के रूप में खारिज कर देगी, जैसा कि उसने *अमीरुन्निस बेगम बनाम महबूब बेगम[23] और रामप्रसाद नारायण साही* बनाम *बिहार राज्य*[24] किया था।

iii. कोई संविधि अपने उपबंधों को लागू करने के प्रयोजन रा्थ व्यक्तियों या वस्तुओं का कोई वर्गीकरण नहीं कर सकती है, परन्तु उन व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन और वर्गीकरण करना सरकार के विवेक पर छोड़ सकती है, जिन पर इसके उपबंध लागू होने हैं। ऐसे क़ानून की वैधता या अन्यथा के प्रश्न का निर्धारण करते समय न्यायालय केवल इसलिए कानून को निरस्त नहीं करेगा क्योंकि उसके चेहरे पर कोई वर्गीकरण दिखाई नहीं देता है या, क्योंकि चयन या वर्गीकरण करने के लिए सरकार को विवेकाधिकार दिया गया है, बल्कि यह जांचऔर पता लगाने के लिए आगे बढ़ेगा कि क्या क़ानून ने सरकार द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के मार्गदर्शन के लिए कोई सिद्धांत या नीति निर्धारित की है। चयन या वर्गीकरण के मामले में। इस तरह की जांच के बाद न्यायालय क़ानून को रद्द कर देगा यदि यह चयन या वर्गीकरण के मामले में सरकार द्वारा प्रयोग या विवेक का मार्गदर्शन करने के लिए कोई सिद्धांत या नीति निर्धारित नहीं करता है, इस आधार पर कि क़ानून सरकार को मनमानी और अनियंत्रित शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है ताकि वह व्यक्तियों या चीजों के बीच समान रूप से भेदभाव कर सके। इसलिए, भेदभाव क़ानून में ही निहित है। ऐसे मामले में न्यायालय कानून के साथ-साथ इस तरह के कानून के तहत की गई कार्यकारी कार्रवाई दोनों को रद्द कर देगा, जैसा कि *उसने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम* अनवर अली सरकार *(डी) (सुप्रा) द्वारका प्रसाद* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*[25], *धीरेन्द्र* कुमार मंडल बनाम *कानूनी मामलों के अधीक्षक*[26] और स्मरणकर्ता के *मामले में किया था।*

iv. कोई संविधि अपने उपबंधों को लागू करने के प्रयोजन से व्यक्तियों या वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं कर सकती है और उन व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन और वर्गीकरण करने के लिए सरकार के विवेक पर छोड़ सकती है जिन पर इसके उपबंध लागू होने हैं, लेकिन साथ ही ऐसे चयन या वर्गीकरण के मामले में सरकार द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के मार्गदर्शन के लिए एक नीति या सिद्धांत निर्धारित कर सकता है; अदालत कानून को संवैधानिक के रूप में बरकरार रखेगी, जैसा कि काठी *रानिंग रावत* बनाम *सौराष्ट्र राज्य (ई)* (सुप्रा) में किया गया था।

v. कोई संविधि उन व्यक्तियों या वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं कर सकती है जिन पर उनके उपबंध लागू करने का इरादा है और ऐसे

---

[21] 1954 एस, सीआर 30।
[22] 1954 एस.सी.आर. 1117.
[23] 1953 एस.सी.आर. 404
[24] 1953 एस.सी.आर. 1129
[25] 1954 एस.सी.आर. 803.
[26] 1955-1 एस.सी.आर. 224

चयन या वर्गीकरण के मामले में सरकार द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के मार्गदर्शन के लिए उन उपबंधों को लागू करने के लिए व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन या वर्गीकरण करना सरकार के विवेक पर छोड़ सकता है। यदि चयन या वर्गीकरण करने में सरकार ऐसी नीति या सिद्धांत पर आगे नहीं बढ़ती है या उसका पालन नहीं करती है, तो इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है, यानी *काठी रानिंग रावत* बनाम *सौराष्ट्र राज्य (*ई) (सुप्रा) में कि ऐसे मामले में कार्यकारी कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन कानून को असंवैधानिक नहीं माना जाना चाहिए।

56) इसलिए, हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत समस्या का समाधान करना होगा क्योंकि वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू हो सकते हैं।

57) वकील राव ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने कुलपति द्वारा अपने कार्यकाल को नवीनीकृत करने के लिए दिए गए वादे/आश्वासन के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए कुलपति के पद को धारण करने का निहित अधिकार हासिल कर लिया था, कि इस तरह के अधिकार को किसी भी विधायी अधिनियमन द्वारा अवधि के दौरान नहीं छीना जा सकता है। धारा 9-ए के प्रावधान, जहां तक वे प्रावधान करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, मुख्य रूप से और केवल याचिकाकर्ता के लिए उस तारीख को लक्षित है जब कानून लाया गया था, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर, याचिकाकर्ता को तीन साल की एक और अवधि के लिए कुलपति के रूप में बने रहना था, ताकि याचिकाकर्ता, यदि कुछ भी हो, तो *बूल चार्ड* के मामले में निर्धारित कानून की शर्तों में चांसलर द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अब धारा 9-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अध्यादेश की घोषणा के समय या अधिनियम के प्रकाशित होने और लागू होने की तारीख पर, याचिकाकर्ता को कुलपति के कार्यालय से हटा दिया गया माना जाएगा, कि कानून का एकमात्र उद्देश्य याचिकाकर्ता को आसान बनाना था और वर्गीकरण के आधार और कानून के उद्देश्य के बीच कोई संबंध या संबंध नहीं है। विद्वान वकील द्वारा यह भी जोरदार तर्क दिया गया कि यद्यपि यह उचित मामले में विधायिका के लिए खुला है कि वह केवल एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर कुछ प्रावधान लागू करे, फिर भी संविधि द्वारा प्रभावित वर्गीकरण एक समझदार भिन्नता पर आधारित वर्गीकरण होना चाहिए और यह भिन्नता विधियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि लागू कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

58) दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 9-ए को लागू करके आयु का निर्धारण शुद्ध रूप से मनमाना है क्योंकि यह प्रतिष्ठित व्यक्तियों की रिपोर्ट और उप-समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता अध्यक्ष था, कि कानून याचिकाकर्ता के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन कुलपति के कार्यालय के संबंध में यह कहा गया है कि कानून लागू होने के बाद नियुक्त किए जाने वाले मौजूदा कुलपति और कुलपति के बीच कोई अंतर नहीं करता है और यह कि कानून का उद्देश्य विशेष रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं है, हालांकि संयोग से इसने उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

59) डॉ. चिताले ने विद्वान महाधिवक्ता द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन किया और यह तर्क देते हुए अपने तर्क को पुष्ट किया कि कानून सार्वभौमिक रूप से उन सभी पर लागू होता है जो पद पर थे और हैं, कि याचिकाकर्ता का रुख न केवल अस्थिर है, बल्कि अनुचित भी है क्योंकि वह चाहता है कि विधायिका क्या करे, उसके लिए एक अपवाद बनाना और विशेष अधिनियम बनाना है जो उसे उक्त पद पर बने रहने की सुविधा

प्रदान कर सके। यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो किसी भी समय विधायिका कानून बनाने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि यह हमेशा पद पर बैठे व्यक्ति को प्रभावित करेगा, कि इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, कि आयु सीमा का निर्धारण जिसके परिणामस्वरूप ^ कार्यकाल की अवधि में कमी करना सजा नहीं है, न ही यह हटाने का गठन करता है और यह अधिनियम कानून का एक वैध टुकड़ा है और इसे एक प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है जिसके लिए विभिन्न समितियों द्वारा बार-बार जोर दिया गया है।

60) अब मैं इस बात पर विचार करना जारी रखता हूं कि क्या याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि धारा 9-ए में 'यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है--., तो शब्द भेदभावपूर्ण हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

61) याचिकाकर्ता (27 अक्टूबर, 977 को तीन साल की अवधि के लिए कुलपति नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यकाल तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए नवीनीकृत किया जाना था। फैसले के पहले भाग में, मैंने पहले ही कहा है कि याचिकाकर्ता तत्कालीन चांसलर द्वारा किए गए वादे और आश्वासन के आधार पर कार्यकाल के नवीकरण का हकदार है और इस तथ्य के आधार पर याचिकाकर्ता पद पर बने रहने का हकदार है और माना जाएगा कि वह 27 अक्टूबर से कुलपति के रूप में जारी रहेगा। 1980, तीन साल की एक और अवधि के लिए। सामान्यत, याचिकाकर्ता उस पद पर पूरे कार्यकाल के लिए बने रहने का हकदार होगा जो अक्तूबर, 1983 के अंत में ही समाप्त होगा। अब 1 नवम्बर, 1980 को लागू अध्यादेश जारी करके इस कार्यकाल को अचानक समाप्त कर दिया गया है, जिसके द्वारा धारा 9 के बाद, धारा 9-ए पेश की गई है, जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कुलपति के रूप में बने रहने पर रोक लगाता है। इस अध्यादेश को बाद में 26 दिसंबर, 1980 को संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

62) अधिनियम में संशोधन के लिए विधान सभा में पुरस्थापित किए गए विधेयक में दिए गए अनुसार धारा 9क को शामिल करने की आवश्यकता उत्पन्न करने वाले उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार है -

"महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के अधिनियम और विधियों ने कुलपति और प्रति-कुलपति के लिए सेवानिवृत्ति की कोई आयु प्रदान नहीं की है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा आयोग (1964-66) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन संबंधी समिति (1971) ने सिफारिश की थी कि कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। परिस्थितियों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के राज्यपाल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5) को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के लिए हरियाणा अधिनियम 25 में निम्नलिखित धारा जोड़कर प्रख्यापित किया: -

> 9A. *कुलपति और प्रति-कुलपति की अधिकतम* आयु - किसी विधि, संविदा या संविधियों में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को कुलपति या प्रति-कुलपति के पद पर, जैसा भी मामला हो, नियुक्त नहीं किया जाएगा, या जारी नहीं रखा जाएगा, यदि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

उपर्युक्त कथन से, यह स्पष्ट है कि चूंकि कुलपति और प्रति-कुलपति के पद के लिए सेवानिवृत्ति की कोई आयु प्रदान नहीं की गई थी और जैसा कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन संबंधी समिति

(1971) ने कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की थी, इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना उचित समझा गया और इसी उद्देश्य के परिणामस्वरूप अध्यादेश और संशोधन अधिनियम को प्रख्यापन किया गया।

63) लिखित बयान में, अध्यादेश की घोषणा और संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से लिया गया रुख इस प्रकार है: –

"याचिका के पैरा 30-ई के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि (ए) शिक्षा आयोग की रिपोर्टों के दिशानिर्देशों/सिफारिशों के आलोक में, (बी) विश्वविद्यालयों के लिए मॉडल अधिनियम पर समिति की रिपोर्ट और (सी) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन पर समिति की रिपोर्ट, भाग 1, हरियाणा सरकार ने दिनांक 8 अगस्त, 1980 की अधिसूचना संख्या 45/1-80-एड-(6) के माध्यम से एक समिति का गठन किया, जिसमें याचिकाकर्ता इसके अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य शामिल थे। यह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि इस पैरा में (क) और (ग) में उल्लिखित समितियों ने कुलपति के लिए पद धारण करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष करने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालयों के लिए मॉडल अधिनियम संबंधी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कुलपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के विचार का समर्थन किया था।

* * * * * * * *

याचिकाकर्ता का यह आरोप कि हरियाणा सरकार विश्वविद्यालयों के शासन के संबंध में गजेंद्रगडकर समिति की सिफारिशों के प्रति अवमाननापूर्ण रही है, गलत है और इसलिए इससे इनकार किया जाता है। जैसा कि ऊपर दिए गए निवेदन से स्पष्ट है, सरकार ने गजेन्द्रगडकर समिति सहित उपर्युक्त समिति के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालयों में आवश्यक संशोधन ोां का सुझाव देने के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी है, जिसमें याचिकाकर्ता सहित 9 सदस्य शामिल हैं।

* * * * * * * *

यह प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग *ने दिनांक* 2 अप्रैल, 1979 के अपने पत्र के माध्यम से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी, बशर्ते कि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधियों में संशोधन करे। भारत और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन पर समिति (1971), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त। इस संबंध में शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है -

कुलपति के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, जो अखिल भारतीय प्रतिष्ठा के असाधारण योग्य व्यक्ति के मामले में एक अपवाद है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन संबंधी समिति की रिपोर्ट में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है -

कुलपति के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा निर्धारित करने के प्रश्न के संबंध में यह देखा जा सकता है कि जहां कुलपति का पद मानद है और कुलपति से अपेक्षा की जाती है और स्वेच्छा से काम करने की अपेक्षा की जाती है, यदि कोई आयु सीमा निर्धारित करना यथार्थवादी नहीं हो सकता है। हम यह जोड़ सकते हैं कि कुछ प्रतिष्ठित पूर्णकालिक वेतनभोगी कुलपति, जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय या अपने कार्यकाल के दौरान 65 वर्ष की आयु पार कर ली थी, अपने संबंधित विश्वविद्यालयों को सिग्नल सेवा प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, फिर भी, हमें लगता है कि कठिन कर्तव्यों को देखते हुए, कुलपति का कार्यालय पूर्णकालिक वेतनभोगी होना चाहिए, और कुलपति को

65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होना चाहिए।

समितियों की उपर्युक्त सिफारिशों से स्पष्ट है कि कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। चूंकि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन में समय लगना था और 27 अक्तूबर, 1980 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति के कार्यालय में एक रिक्ति उत्पन्न हो गई है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में कुलपति की एक और रिक्ति 5 अप्रैल, 1981 को उत्पन्न होनी थी, इसलिए सरकार द्वारा कुलपति की अधिकतम आयु के निर्धारण से संबंधित बिन्दु पर निर्णय लेना उचित समझा गया।

* * * * * * * *

याचिकाकर्ता की यह दलील कि किसी असाधारण या साधारण कानून की जरूरत नहीं है, गलत है, गलत है और इसलिए इससे इनकार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अध्यादेश (अब 1980 का अधिनियम संख्या 40) केवल याचिकाकर्ता के संबंध में जारी नहीं किया गया था, लेकिन यह कुलपति और प्रति-कुलपतियों की भविष्य की सभी नियुक्तियों को विनियमित करेगा।

64) ऊपर प्रस्तुत की गई दलीलों से, यह फिर से स्पष्ट है कि राज्य की ओर से अपनाया गया दृढ़ रुख यह है कि अध्यादेश की घोषणा और संशोधन अधिनियम का अधिनियमन शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन संबंधी समिति द्वारा पहले की गई सिफारिश को प्रभावी करने के लिए था कि कुलपतियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय की जानी चाहिए और लागू कानून लागू किया जाना चाहिए। यह याचिकाकर्ता के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुलपतियों और प्रति-कुलपतियों की भविष्य की सभी नियुक्तियों को विनियमित करना है।

65) विवाद के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1864 में की गई थी, जिसने सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की सिफारिश की थी, जबकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शासन पर समिति का गठन वर्ष 1971 में किया गया था, जिसने फिर से सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने का सुझाव दिया था। लेकिन इन दोनों रिपोर्टों के बावजूद, वर्ष 1975 में लागू अधिनियम, जिसके तहत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, में किसी भी सेवानिवृत्ति की आयु का प्रावधान नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये रिपोर्टें ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं और अधिनियम के अधिनियमन के समय या उसके बाद विधायिका द्वारा इन्हें लागू नहीं किया गया और यह केवल 1 नवम्बर, 1980 को था और वह भी अध्यादेश के रूप में कि कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस तरह से लागू किया गया कानून अस्तित्व में आया था।

66) इस मामले के गुण-दोष पर, पूरी सामग्री पर विचार करने पर, मामले के तथ्यों और उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा प्रतिपादित कानून के आलोक में, हमें विद्वान वकील श्री राव की दलील में काफी बल मिलता है।

67) पहला प्रश्न जिसके निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या लागू किए गए कानून द्वारा वर्तमान कुलपति और उसके बाद नियुक्त किए जाने वाले कुलपतियों के बीच कोई अंतर किया गया है और यदि ऐसा अंतर किया गया है, तो क्या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ भिन्नता का कोई तर्कसंगत संबंध है? जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता के तर्क से स्पष्ट है, वर्तमान कुलपति और अधिनियमन के बाद नियुक्त किए जाने वाले कुलपतियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है और न ही कानून याचिकाकर्ता के खिलाफ लक्षित है। यदि धारा में प्रयुक्त वाक्यांशों के आलोक में मामले का न्याय करना है, तो विद्वान महाधिवक्ता के तर्क में कुछ दम हो सकता है, लेकिन यदि कानून के प्रभाव और अंतिम प्रभाव को देखा जाता है, तो विद्वान महाधिवक्ता का तर्क अपनी सारी ताकत खो देता है। इस प्रस्ताव के लिए कि यह वाक्यांशविज्ञान नहीं बल्कि कानून का प्रभाव है जिसे

देखा जाना चाहिए, *खंडीगे शाम भट और एक अन्य* बनाम *कृषि आयकर अधिकारी, कासरगोड और एक अन्य* [27] *मामले में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता* है, जो निम्नानुसार हैं: -

> "हालांकि एक कानून *प्रथम दृष्टया* एक वर्ग के भीतर आने वाले सभी लोगों को समान मानता प्रतीत होता है, अगर वास्तव में यह समान रूप से स्थित व्यक्तियों या संपत्ति पर असमान रूप से संचालित होता है, तो यह कहा जा सकता है कि कानून समानता खंड का उल्लंघन करता है। तब यह अदालत का कर्तव्य होगा कि वह कानून के प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच करे ताकि समान रूप से स्थित व्यक्तियों या संपत्ति पर इसके वास्तविक प्रभाव का पता लगाया जा सके। इसके विपरीत, एक कानून उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर सकता है जो समान रूप से अलग दिखाई देते हैं; लेकिन जांच करने पर वे समान रूप से स्थित नहीं पाए जा सकते हैं। इसे अलग तरह से कहने के लिए, यह एक क़ानून का वाक्यांशविज्ञान नहीं है जो स्थिति को नियंत्रित करता है, बल्कि कानून का प्रभाव है जो निर्णायक है।

लागू किए गए प्रावधान की बात करें, तो इसकी थोड़ी सी जांच से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि 'यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है' शब्द केवल याचिकाकर्ता के लिए हैं, न कि किसी और के लिए। याचिकाकर्ता का पहला कार्यकाल 27 अक्टूबर, 1980 को समाप्त होना था, और वादे के आधार पर, वह कार्यकाल के नवीकरण को प्राप्त करने का हकदार था। यदि नवीनीकरण की अनुमति दी गई होती, तो वह तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए कुलपति के रूप में बने रहते। चूंकि कार्यकाल का नवीनीकरण नहीं किया गया था, इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता को राहत मिलने की स्थिति में, उसे एक और कार्यकाल के लिए कुलपति बने रहने के लिए माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, 1 नवम्बर, 1980 को जब अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, तब याचिकाकर्ता अपने पद पर कुलपति होगा और 'जारी रखना' शब्द केवल उस पर लागू होगा।

68) जैसा कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील की दलीलों से स्पष्ट है, उनके द्वारा अपनाया गया दृढ़ रुख यह है कि वर्तमान कुलपति और भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले कुलपतियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, क्योंकि 'यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है' शब्द न केवल याचिकाकर्ता पर बल्कि भविष्य में नियुक्त होने वालों पर भी लागू होते हैं। मेरी राय में, प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील द्वारा अपनाया गया रुख टिकाऊ नहीं है। यद्यपि धारा की भाषा इस तरह से बनाई गई है ताकि यह आभास हो सके कि लागू किए गए प्रावधान भविष्य की नियुक्तियों पर भी लागू होते हैं, फिर भी कानून का प्रभाव और अंतिम प्रभाव केवल याचिकाकर्ता पर है। इसमें कोई फायदा नहीं हो सकता कि धारा 9-ए के प्रावधानों के मद्देनजर, कुलाधिपति से आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि वह किसी व्यक्ति को उस कार्यकाल के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त करेगा जिसे वह 64 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पूरा करने में सक्षम है। यह फिर से समान रूप से स्पष्ट है कि; इस उच्च पद पर नियुक्त व्यक्ति भी आमतौर पर उस पद को स्वीकार नहीं करेगा जिसका कार्यकाल वह पूरा करने में असमर्थ है। जहां तक भावी नियुक्तियों का संबंध है, इस स्थिति में इन शब्दों की प्रयोज्यता का कोई अवसर नहीं हो सकता है। मैं महाधिवक्ता से सहमत नहीं हूं कि कानून विशेष रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ लक्षित नहीं है, हालांकि यह उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। बल्कि मामले की परिस्थितियों में जहां तक 'जारी रखें' शब्दों का उपयोग किया गया है, कानून केवल याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्देशित है और वर्तमान कुलपति और उसके बाद नियुक्त होने वाले कुलपतियों के बीच एक सकारात्मक अंतर बना रहा है।

---

[27] ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 591.

69) इसके अलावा, याचिकाकर्ता नहीं चाहता है कि उसके पक्ष में कोई अपवाद बनाया जाए ताकि उसे पद पर बने रहने में मदद मिल सके, जैसा कि डॉ. चितले ने तर्क दिया था। याचिकाकर्ता केवल यह दलील दे रहा है कि लागू कानून उसके खिलाफ भेदभावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण है और वह इसे स्थापित करने में सफल रहा है। यह सही है कि *रामकृष्ण डालमिया* के मामले *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून के मद्देनजर, एक कानून एकल व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां या कारण होने चाहिए जो दूसरों पर लागू न हों, जो उस व्यक्ति के साथ स्वयं एक वर्ग के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता हो सकती है। तत्काल मामले में, कानून के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला एकमात्र उद्देश्य याचिकाकर्ता को हटाना है। याचिकाकर्ता जिस पद पर था वह एक कार्यकाल पद है और याचिकाकर्ता ने वादे के परिणामस्वरूप, पद पर बने रहने का अधिकार हासिल कर लिया है।

70) महाधिवक्ता श्री गौर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संबंध में जारी 1980 के अध्यादेश संख्या 4 की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया था, जिसमें धारा 8-ए, जो कि धारा 9-ए के समान है, को पेश नहीं किया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि अकेले याचिकाकर्ता को अलग नहीं किया गया है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के मामले में आयु सीमा भी तय की गई है। हमारे विचार से, इस अध्यादेश को जारी करने से लागू कानून की शक्तियों को बनाए रखने में कोई सहायता नहीं मिलेगी । कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल 5 अप्रैल, 1981 को समाप्त होना था। 1 नवम्बर, 1980 को उस विश्वविद्यालय के संबंध में अध्यादेश जारी करने और धारा 8-क पुरस्थापित करने का कोई अवसर नहीं था, विशेषकर जब दिसम्बर, 1980 में विधान सभा की बैठक होनी थी, जब विश्वविद्यालय के अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता था। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति 65 वर्ष से बहुत कम आयु के थे और उनके मामले में, 'जारी रखें' शब्द अर्थहीन होगा। इसके अलावा, 5 अप्रैल, 1981 को उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद, धारा 8-क के प्रावधानों के आलोक में कुलाधिपति द्वारा नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की गई होगी। इस प्रकार, अध्यादेश जारी करना और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8-ए में 'जारी रखना' शब्द डालना केवल यह धारणा देने के लिए था कि संशोधन सभी कुलपतियों के संबंध में किया जा रहा है और याचिकाकर्ता को निशाना नहीं बनाया जा रहा है।

71) अगला सवाल जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को स्वयं एक वर्ग के रूप में समूहीकृत करने के लिए एक उचित आधार है और क्या वह उचित आधार या तो क़ानून में ही दिखाई देता है या आसपास की अन्य परिस्थितियों से कम है? फिर, जवाब नकारात्मक में होना चाहिए।

72) अधिनियम में संशोधन आयोग और समिति की रिपोर्टों के आधार पर लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन इन रिपोर्टों में कहीं भी ऐसा कोई संकेत उपलब्ध नहीं है कि वैध रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की स्थिति में अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कुलपति विश्वविद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान रखता है और पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस कार्यालय को हमेशा न्यायविदों या प्रख्यात और सक्षम शिक्षाविदों द्वारा संचालित किया गया है - कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का चयन पूरी तरह से विशेषाधिकार है और चांसलर के पूर्ण विवेक के भीतर है। इस तरह का कानून लाकर जिसके परिणामस्वरूप पदधारी को तत्काल हटा दिया जाता है, इसके लिए कोई औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है। प्रमुख इरादा इस रंगीन कानून के माध्यम से याचिकाकर्ता को हटाने का प्रतीत होता है। यदि याचिकाकर्ता को पसंद नहीं किया गया था और वह खुद को गलत तरीके से पेश कर रहा था, तो उसे निश्चित रूप से बूल चंद के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के संदर्भ में हटाया जा सकता था । लागू कानून के

परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता 1 नवंबर, 1980 को कुलपति के पद पर नहीं रहेगा। इस कानून का प्रभाव यह होगा कि पदधारी व्यक्ति सड़क पर होगा और उसे अपने रहने आदि के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सांस लेने का समय भी नहीं मिलेगा। आयोग और समिति ने केवल सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी रिपोर्टों का उपयोग एक कानून लाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता था जो कुलपति के उच्च पद का मजाक बना सकता था और जिसके परिणामस्वरूप उनके कार्यकाल की अवधि में कटौती करके हटाने की सजा दी जा सकती थी। मुझे नहीं लगता कि इस अधिनियम में ऐसी कोई नीति निहित है जो याचिकाकर्ता के साथ किए गए इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित ठहराती हो। जबकि अधिनियम के तहत नियुक्त सभी कुलपति अपने कार्यकाल की पूरी अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, याचिकाकर्ता को अध्यादेश लागू होने के दिन पद से बाहर कर दिया जा रहा है।

73) इसके अलावा, याचिकाकर्ता को क्यों अलग रखा गया है और अधिनियमन के बाद नियुक्त किए जाने वाले कुलपतियों से अलग किया गया है, यह अस्पष्ट है। प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख पर याचिकाकर्ता की उम्र 67 वर्ष थी। अपने पहले कार्यकाल की पूरी अवधि के लिए, उन्होंने अपने कार्यालय के कार्यों का पूरी तरह से निर्वहन किया था। कोई आरोप नहीं है और न ही ऐसा कोई सुझाव है कि वह शारीरिक या मानसिक रूप से फिट नहीं है।

74) लागू कानून की अनुचितता और मनमानी को और दिखाने के लिए, मैं एक उदाहरण लेने का प्रस्ताव करता हूं जिस पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील से भी सवाल पूछे गए थे। मान लीजिए कि रिपोर्टों आदि के आधार पर आक्षेपित विधान 1 नवम्बर, 1977 को अर्थात याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति के पांच दिन बाद लाया गया था, तो क्या यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता जो प्रारंभिक नियुक्ति के समय 67 वर्ष से अधिक आयु का था, पद पर नहीं रहेगा और कुलपति नहीं रहेगा? क्या इस तरह के कानून का बचाव यह कहते हुए किया जा सकता है कि यह याचिकाकर्ता को लक्षित नहीं था, हालांकि यह संयोग से उसे प्रभावित करने की संभावना थी? क्या यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को स्वयं एक वर्ग के रूप में समूहीकृत करने का उचित आधार है? क्या यह कहा जा सकता है कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कानून का एक उचित संबंध था? एक उचित दृष्टिकोण पर, इन सभी सवालों का जवाब नकारात्मक में होना चाहिए। यदि यह विधान 1 नवम्बर, 1977 को अस्तित्व में आया होता, तो इसे इस आधार पर निरस्त कर दिया जाता कि इसे केवल याचिकाकर्ता को हटाने के उद्देश्य से लाया गया था। यदि यह उस कानून के संबंध में परिणाम हो सकता है जिसे याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति के तुरंत बाद लाया गया था, तो मैं अब यह समझने में विफल हूं कि वर्तमान कानून अच्छा होगा जो याचिकाकर्ता के कार्यकाल के नवीकरण के पांच दिनों के बाद लाया गया है। मैं एक क्षण के लिए भी इस बात की सराहना नहीं कर सकता कि किस आधार पर कोई विधान बनाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सांविधिक कार्यकाल शुरू होने के 5वें दिन समाप्त कर दिया जाता है। इस बात का कोई फायदा नहीं हो सकता है कि अधिनियम की धारा 9-ए को लागू करके याचिकाकर्ता की सेवा को तुरंत समाप्त करने की मांग की जाती है। दूसरे शब्दों में, लागू कानून द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए एक उपकरण अपनाया गया है।

75) यह कहना अनुचित नहीं होगा कि "जारी रखें" शब्द को आक्षेपित प्रावधान में शामिल किया गया प्रतीत होता है क्योंकि इस बात की आशंका रही होगी कि इस याचिका में अनुमति दी गई है, तो याचिकाकर्ता को कुलपति के रूप में पद पर बने रहने के लिए माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, वर्तमान कानून केवल एक ऐसी स्थिति को कवर करने के लिए है जो याचिका की सफलता की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह केवल तभी है कि याचिकाकर्ता कुलपति के रूप में जारी रहेगा। इसके अलावा, धारा में *गैर-बाध्यकारी* खंड को फिर से जोड़ा गया है ताकि उन नियमों और शर्तों में शामिल शब्द से बचा जा सके जिनके आधार पर यह याचिका दायर की गई है।

76) इसके अलावा, उद्देश्यों और कारणों के कथन को छोड़कर, जिसे निर्णय के पहले भागों में पुन: प्रस्तुत किया गया है, भेदभावपूर्ण कानून का समर्थन करने के लिए आसपास की कोई अन्य परिस्थिति हमारे ध्यान में नहीं लाई गई थी। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील श्री राव ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए याचिका के समर्थन में निम्नलिखित तथ्यों को इंगित किया।

77) 10 सितम्बर, 1979 को एक वक्तव्य दिया गया था जिसके कथित रूप से दिए जाने का आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा, समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ कि याचिकाकर्ता को निलंबित किया जा रहा है क्योंकि वह छुट्टी पर जाने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि 13 सितंबर, 1979 को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा एक बयान जारी किया गया था जिसमें इस तरह के किसी भी बयान से इनकार किया गया था। निलंबन की आशंका के चलते याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में 1979 का सीडब्ल्यूपी संख्या 3228 दायर किया, जिस पर उनके निलंबन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया। जारी किए गए प्रस्ताव के नोटिस के जवाब में, चांसलर ने अनुरोध किया कि जहां तक उनका संबंध है, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई विचाराधीन नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप याचिका *20 सितंबर, 1979* को खारिज कर दी गई थी।

78) तथापि, अगले दिन अर्थात् 21 सितम्बर, 1979 को कुलाधिपति ने सरकार द्वारा गठित जांच आयोग द्वारा उनके विरुद्ध जांच लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। याचिकाकर्ता ने फिर से इस न्यायालय में 1979 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3385 याचिका दायर की, जिसमें निलंबन आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया। मोशन बेंच ने प्रस्ताव का नोटिस जारी किया और *याचिकाकर्ता* के निलंबन के आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक भी लगाई। प्रतिवादियों की ओर से रिट याचिका का विरोध किया गया था, जिसे अंततः इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि अधिनियम के तहत चांसलर के पास निलंबन की कोई शक्ति नहीं थी और तदनुसार निलंबन के आदेश को 16 नवंबर, 1979 को रद्द कर दिया गया था।

79) मामला यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि रिट याचिका के निर्णय के 8 दिन बाद, एक अध्यादेश (1979 की संख्या 11) जारी किया गया था, जिसमें कुलपति को (ए) कुलपति को निलंबित करने का अधिकार दिया गया था; (ख) उसकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तों को बदलना और (ग) तीन महीने के नोटिस पर या तीन महीने के वेतन के भुगतान पर कुलपति की सेवाओं को समाप्त करना। इस स्तर पर यह बताना उचित होगा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संबंध में इसी तरह का कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया था और श्री राव का यह तर्क सही था कि राज्य द्वारा वकालत की गई एकरूपता का पैटर्न केवल एक तमाशा है। अध्यादेश के आधार पर कुछ कार्रवाई का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 1979 के अध्यादेश संख्या 11 को रद्द करने के लिए एक याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या, 1518/1979) दायर की। उक्त अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावी करने से कुलाधिपति को रोकने के लिए एक रिट जारी करने का अनुरोध भी किया गया था, लेकिन उस अनुरोध को इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया गया था कि जब भी याचिकाकर्ता के खिलाफ लागू अध्यादेश के तहत कोई कार्रवाई की जाती है, तो रोक लगाने का अनुरोध किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के 16 नवंबर, 1979 के आदेश के खिलाफ 1979 के एसएलपी संख्या 10323 को भी इस आधार पर दायर किया था कि उच्च न्यायालय को *दुर्भाविना* के आरोपों और उस कार्यकाल के सवाल पर भी फैसला करना चाहिए था जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार था। अध्यादेश के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसे समाप्त होने दिया गया, याचिकाकर्ता ने 18 अप्रैल, 1981 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों याचिकाओं को वापस ले लिया।

80) उपरोक्त तथ्य फिर से हमारे विचार का समर्थन करते हैं कि प्रमुख इरादा इस रंगीन कानून के माध्यम से याचिकाकर्ता को हटाना है और आक्षेपित प्रावधान में 'जारी रखना' शब्द केवल याचिकाकर्ता के उद्देश्य से हैं।

81) एकमात्र प्रासंगिक मामला, जिसका कुछ असर है और जिसका विस्तार से संदर्भ दिया जा सकता है, *वह है दिनापति सदाशिव रेड्डी, कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय* बनाम *कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय और अन्य*[28]। उस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं।

82) दीनापट्टी सदाशिव रेड्डी, अपीलकर्ता, को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पारित 30 अप्रैल, 1564 के आदेश द्वारा उस्मानिया विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। इस पद का कार्यकाल अप्रैल, 1969 के अंत में समाप्त होना था। 1965 के मध्य के दौरान, कुछ परिस्थितियों में कुलपति को पद से कुलाधिपति द्वारा हटाने का प्रावधान करके अधिनियम में कुछ संशोधन पेश करने की मांग की गई थी। कुलपति की नियुक्ति की तारीख से उसका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने और ऐसे प्रावधान करने का भी प्रस्ताव था जो सरकार को उसके द्वारा पालन किए जाने वाले नीतिगत मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय को निर्देश देने में सक्षम बनाते हैं। अधिनियम में पेश किए जाने वाले संशोधनों की कई हलकों से काफी आलोचना हुई है। लेकिन अंततः आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने उस्मानिया विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम II) पारित किया, जिसमें कुछ विवरणों में 1959 के उस्मानिया विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया गया। उक्त संशोधन इस आशय के थे कि संशोधित अधिनियम की धारा 12 (2) में किए गए प्रावधान के अलावा कुलपति को पद से नहीं हटाया जाएगा। संशोधित धारा 13 के तहत कार्यालय का कार्यकाल भी 3 साल तय किया गया था। उस्मानिया विश्वविद्यालय अधिनियम को फिर से उस्मानिया विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत धारा 13क लागू की गई। संक्षेप में, वह धारा इस आशय की थी कि 1966 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले कुलपति का पद धारण करने वाले व्यक्ति को केवल तब तक पद धारण करना था जब तक कि धारा 12 की उपधारा (1) के तहत एक नए कुलपति की नियुक्ति नहीं की जाती थी: और इसमें यह भी प्रावधान था कि ऐसी नियुक्ति ऐसे प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर की जाएगी। एक और प्रावधान था कि ऐसे नए कुलपति की नियुक्ति पर, और उनके कार्यालय में प्रवेश करने पर, ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले कुलपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति उस पद को धारण नहीं करेगा- जैसा कि संशोधन पेश किया गया, अपीलकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसने उस्मानिया विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम की धारा 5 घोषित करने वाली रिट या आदेश जारी करने के लिए प्रार्थना करते हुए एक रिट याचिका दायर की। 1966, जिसने मूल अधिनियम में धारा 13 ए को असंवैधानिक और शून्य के रूप में पेश किया। उस रिट याचिका में, उन्होंने कई आधारों पर धारा 13-ए की वैधता को चुनौती दी थी। पूरे मामले पर विचार करने पर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मूल अधिनियम में धारा 13-ए को पेश करने वाले दूसरे संशोधन अधिनियम की धारा 5 किसी भी खामी से दूषित नहीं थी, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था, और अंत में अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य आधार (संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर फिर से अपील में अपीलकर्ता की ओर से हमला)। पक्षकारों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों पर विचार करने पर, अदालत की ओर से बोलते हुए वैद्यलिंगम जे ने कहा, इस प्रकार: –

> "हमारे विचार में, कुलपति, जिसे अधिनियम के तहत नियुक्त किया जाता है, या कुलपति, जो दूसरे संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख को उस पद पर थे, एक एकल समूह या वर्ग बनाते हैं। यह मानते हुए भी कि दो अलग-अलग समूहों के तहत आने वाले उन दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, फिर भी, यह आवश्यक है कि इस तरह के वर्गीकरण को एक समझदार भिन्नता पर स्थापित किया जाना चाहिए जो अपीलकर्ता को अधिनियम के तहत नियुक्त कुलपति से अलग करता है। हम ऐसी कोई समझदार

[28] ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1305.

भिन्नता नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसके आधार पर वर्गीकरण को उचित ठहराया जा सके।

यह भी आवश्यक है कि क़ानून द्वारा किए गए वर्गीकरण या भिन्नता का क़ानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। हमने दूसरे संशोधन विधेयक, जो बाद में कानून बना, के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ-साथ पूरे अधिनियम का अध्ययन किया है, जैसा कि यह अभी है। ऊपर निकाले गए द्वितीय संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, यह देखा गया है कि इस तथ्य को बताने के अलावा कि कुलपति के कार्यालय का कार्यकाल धारा 13 (1) के तहत 3 वर्ष तक कम कर दिया गया है और यह कि धारा 13-ए को अधिनियमित करने का इरादा था, कोई अन्य नीति इंगित नहीं की गई है जो भेदभाव को सही ठहराएगी। कुलपति के लिए तीन वर्ष की अवधि निर्धारित करने वाले पद का कार्यकाल, पहले ही प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा प्रभावित किया जा चुका है और इसलिए, अधिनियम की धारा 13-ए को अधिनियमित करके अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए अपनाए गए अंतर सिद्धांत को उचित नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, धारा 13-ए में अपनाई गई भिन्नता और अपीलकर्ता के खिलाफ निर्देशित - और, अकेले अपीलकर्ता - को दूसरे संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध नहीं माना जा सकता है।

जबकि अधिनियम की धारा 12 के तहत नियुक्त कुलपति को केवल धारा 12 (2) के तहत प्रक्रिया अपनाकर पद से हटाया जा सकता है, अपीलकर्ता, जो एक कुलपति भी थे और इसी तरह स्थित थे, की सेवाओं को अधिनियम की धारा 13-ए को लागू करके समाप्त करने की मांग की गई थी। हमें अधिनियम में अंतर्निहित कोई नीति नहीं दिखती है जो अपीलकर्ता को दिए गए इस अलग-अलग व्यवहार को उचित ठहराती है। प्रथम संशोधन अधिनियम के तहत कुलपतियों का कार्यकाल निस्संदेह कम कर दिया गया है और सभी कुलपतियों के लिए 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, एस के आधार पर। अधिनियम की धारा 13-क के अनुसार वह उस पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि कुलाधिपति द्वारा नए कुलपति की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है और वह नियुक्ति 90 दिनों के भीतर की जानी होती है। जबकि अधिनियम के तहत नियुक्त अन्य सभी कुलपति, तीन साल की अवधि के लिए पद पर बने रह सकते हैं, अपीलकर्ता को सचमुच दूसरे संशोधन अधिनियम के शुरू होने की तारीख से 90 दिनों की समाप्ति पर अपने कार्यालय से बाहर कर दिया जाता है। संविधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें अधिनियम की धारा 13-क के अंतर्गत प्रदत्त तरीके से अधिनियम के अधीन नियुक्त कुलपतियों की सेवाओं को समाप्त करने का प्रावधान हो। धारा 13-क द्वारा अपीलकर्ता को उन लाभों से भी वंचित कर दिया जाता है जो उप-धारा के परंतुक के तहत उपलब्ध हो सकते हैं। (1) अधिनियम की धारा 13 के तहत, जो लाभ अन्य सभी कुलपतियों के लिए उपलब्ध है।

83) उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, अपील को स्वीकार कर लिया गया था और अधिनियम में धारा 13-ए को पेश करने वाले दूसरे संशोधन अधिनियम की धारा 5 को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना गया था और असंवैधानिक के रूप में रद्द कर दिया गया था।

84) याचिकाकर्ता के वकील श्री राव ने उपरोक्त पुन: प्रस्तुत टिप्पणियों पर बहुत भरोसा किया था और तर्क दिया था कि वर्तमान मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा कवर किया गया था। दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल और विद्वान वकील डॉ. चिताले ने प्रस्तुत किया था कि धारा 13-ए, जिसे दूसरे संशोधन अधिनियम की धारा 5 द्वारा पेश किया गया था, उस मामले में अपीलकर्ता के

खिलाफ स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, कि वर्तमान मामले में विवादित धारा वर्तमान और भविष्य के कुलपतियों के मामलों को कवर करती है और उस विशेष के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां की गई हैं। ऐसी धारा जो केवल उस मामले में अपीलकर्ता से छुटकारा पाने की दृष्टि से डाली गई थी। हमारे विचार में, श्री राव, विद्वान वकील सही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करती हैं। हमारे द्वारा यह माना गया है कि "जारी रखें" शब्द केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्देशित हैं और केवल याचिकाकर्ता को कार्यालय से बाहर निकालने के लिए जोड़े गए हैं। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा निकाला गया यह अंतर कि धारा 13-ए के प्रावधान लागू धारा 9-ए के प्रावधानों से अलग हैं, अर्थहीन हो जाता है।

85) उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि अध्यादेश और संशोधन अधिनियम की धारा 9-ए में होने वाले 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 'जारी रखें' शब्द भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें केवल एक और एक व्यक्ति के नुकसान के लिए तैयार किया गया है। अर्थात, याचिकाकर्ता, जिसका कार्यकाल 27 अक्टूबर, 1980 को वादे/आश्वासन के परिणामस्वरूप नवीनीकृत किया जाना था, और, इस प्रकार, असंवैधानिक के रूप में रद्द किया जाना चाहिए।

86) याचिकाकर्ता के वकील राव ने अध्यादेश की वैधता और संवैधानिक वैधता को इस आधार पर भी चुनौती दी थी कि अध्यादेश कानून का एक सामान्य रूप नहीं है और विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों के संबंध में और वह भी कुलपतियों की आयु के निर्धारण के मामले में। विद्वान वकील के अनुसार, अध्यादेश जारी करना अपवाद की प्रकृति में होना चाहिए क्योंकि कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया कानून के माध्यम से होती है और अध्यादेश के रूप में अपवाद को बहुत सख्ती से माना जाना चाहिए और अनुच्छेद 213 में निर्धारित शर्तों को सख्ती से संतुष्ट करना होगा। विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था कि इस मामले में ऐसी कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है जो लागू अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता हो।

87) दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान याचिका के उद्देश्य के लिए, अध्यादेश की वैधता में जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि इसे संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था और यह कि उद्देश्य और परिस्थितियों की पर्याप्तता पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। डॉ. चिताले, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश वकील ने यह भी आग्रह किया था कि अदालत अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों में नहीं जा सकती है और अध्यादेश की वैधता के बारे में मुद्दा न्यायसंगत नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 में उल्लिखित शर्तों के संबंध में वास्तव में संतुष्ट नहीं थे या वे शर्तें मौजूद नहीं थीं और उनकी संतुष्टि वास्तविक नहीं थी या यह कि संतुष्टि बाहरी विचारों पर आधारित थी और दुर्भावनापूर्ण थी ।

88) चूंकि लागू किए गए प्रावधान जहां तक यह याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, हमारे द्वारा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में निरस्त किया जा रहा है, इसलिए हम इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा पर कोई राय व्यक्त करने से बचते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि क्या राज्यपाल की संतुष्टि से संबंधित शर्तों को पूरा किया गया था और विद्वान वकील द्वारा दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए अन्य संबद्ध बिंदुओं पर। अध्यादेश की संवैधानिक वैधता के संबंध में पक्ष।

89) अब मैं याचिकाकर्ता की इस दलील पर ध्यान दूंगा कि अध्यादेश जारी करना और संशोधन अधिनियम को लागू करना हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा उनके खिलाफ की गई दुर्भावना की अगली कड़ी है। विद्वान वकील ने हमें याचिका से दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पढ़कर सुनाया *था।* इन आरोपों का श्री जीडी तापसे, जिन्हें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बजाय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में प्रतिवादी बनाया गया है, द्वारा जोरदार ढंग से खारिज कर दिया गया है।

90) पक्षकारों के विद्वान वकीलों की संबंधित दलीलों पर, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई थीं, दु*र्भावना के* दो पहलू हैं, अर्थात् (i) कानूनी और (ii) तथ्यात्मक।

91) कानूनी पहलू पर, याचिकाकर्ता के वकील श्री राव द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि विधायिका की दु*र्भावना* को कानूनी रूप से कानून के न्यायालयों द्वारा जांचा जा सकता है, कि इस मामले में, फाइल पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत रखे गए हैं कि अध्यादेश जारी करना और संशोधन अधिनियम का अधिनियमन याचिकाकर्ता के खिलाफ राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा की गई दुर्भावना का परिणाम है। कि एक मंत्री का पद जैसा कि आज प्राप्त होता है और जैसा कि कार्य नियमों द्वारा भी परिलक्षित होता है, एक विधायक से काफी अलग है, कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के मन और इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, कि कुछ भी मुख्यमंत्री की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता है और इस स्थिति में, सभी मंत्रियों को आरोपित करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था और न ही मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत दुर्भावना को दर्शाने के लिए तथ्यों और आंकड़ों को सामने लाना आवश्यक था। श्री राव ने आगे कहा कि एक बार प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ दुर्भावना साबित हो जाने के बाद, मुख्यमंत्री की स्थिति और स्थिति की श्रेष्ठता को देखते हुए, दुर्भावना मानी जाएगी। विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया था कि राज्यपाल या राज्य के सभी मंत्रियों को शामिल करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था जब राज्य एक पार्टी है जो प्रभावी रूप से उनका प्रतिनिधित्व करता है। अपनी इस दलील के समर्थन में कि दुर्भावनापूर्ण आरोपों को विधायिका के खिलाफ कानूनी रूप से देखा जा सकता है, विद्वान वकील ने *हरद्वारी लाल* बनाम *भारत के चुनाव आयोग आदि*[29] में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

92) दूसरी ओर, श्री यू.डी. गौर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था *कि विधायिका के लिए* कोई दुर्भावना नहीं की जा सकती है, कि किसी अधिनियम की शक्तियों को दु*र्भावनापूर्ण* आधार पर नहीं देखा जा सकता है और यदि विधायी योग्यता स्थापित हो जाती है, तो एक क़ानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते समय, द्वेष का प्रश्न महत्वहीन है।

93) प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश डॉ. चिताले ने विद्वान महाधिवक्ता द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन किया और यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने विधायिका की दु*र्भाविना* को साबित करने के लिए तथ्यात्मक आधार नहीं रखा है क्योंकि उपस्थित सदस्यों, अधिनियमन के पक्ष और विपक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या और अधिनियम के लिए मतदान करने वाले सदस्यों पर मुख्यमंत्री द्वारा उपयोग किए गए प्रभाव के बारे में कोई डेटा नहीं है। यह कहा गया है कि केवल मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर, विधानसभा के सभी सदस्यों को प्रभावित किए बिना, इस प्रश्न पर प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निर्णय नहीं लिया जा सका और न ही उन लोगों के खिलाफ कानूनी रूप से प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज किया जा सका जो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यदि विधायी अधिनियम को दुर्भावना के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है, तो अध्यादेश को भी सुरक्षा मिलती है क्योंकि अध्यादेश जारी करना भी एक विधायी कार्य है, और इसलिए, अध्यादेश के मामले में भी वही सिद्धांत लागू होंगे। एक तर्क यह भी दिया गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और इसलिए, राज्यपाल का व्यक्तिगत उद्देश्य या दु*र्भावना* बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके अतिरिक्त, राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही *उस क्षमता में उनके विरुद्ध दुर्भावना का कोई आरोप लगाया गया है और जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में श्री जीडी तापसे के विरुद्ध हैं और इस प्रकार राज्यपाल के विरुद्ध* दुर्भावना के आरोप *की जांच नहीं की जा सकती है।*

---

[29] आई.एल.आर. (1977) 2 पंजाब और हरियाणा 269.

94) डॉ. चिताले ने यह भी तर्क दिया था कि *हरद्वारी लाई के मामले* (सुप्रा) में निर्धारित कानून की कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि उस मामले में, सदन के प्रस्ताव को दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी गई *थी।* विद्वान वकील के अनुसार, विधायी शक्ति के प्रयोग की वैधता को कभी भी दुर्भावना के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है*।*

95) पूरे मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, मुझे लगता है कि इस मामले में इस सवाल पर जाना आवश्यक नहीं होगा कि क्या विधायिका के खिलाफ *दुर्भावना* के आरोपों की जांच की जा सकती है या नहीं क्योंकि याचिकाकर्ता विधायिका या राज्यपाल के खिलाफ किसी भी *दुर्भावना* को स्थापित करने में विफल रहा है। याचिका में उन्होंने कुलाधिपति की हैसियत से केवल मुख्यमंत्री और श्री जीडी तापसे के खिलाफ आरोप लगाए हैं। विधानसभा के किसी भी सदस्य या मंत्रिपरिषद के सदस्यों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। फाइल पर ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि विधायकों ने अपनी इच्छा के विरुद्ध या अपने स्वयं के निर्णय के अलावा विचार करने के लिए मतदान के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप नहीं लगाया है कि विधेयक प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किसी भी फिएट के परिणामस्वरूप पारित किया गया था, जिसके खिलाफ *दुर्भावनापूर्ण* आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने *पूरी* तरह से अनुमानों पर कोई आधार रखे बिना दुर्भावनापूर्ण दलील को स्थापित करने की कोशिश की है। इस प्रकार दुर्भावना का जमीनी स्तर पर हमला आवश्यक रूप से विफल होना चाहिए और अध्यादेश और संशोधन अधिनियम इस मामले में किसी भी तरह की खामी से ग्रस्त नहीं हैं।

96) हालांकि कानूनी पहलू पर मेरे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए , प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोपों से निपटना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, फिर भी बहस के दौरान 1 दुर्भावनापूर्ण आरोपों पर बहुत जोर दिया गया था, हमने उन आरोपों से गुण-दोष के आधार पर निपटने का फैसला किया है।

97) याचिका में याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए शुरुआत की है कि वर्ष 1977 में श्री भजनलाल कांग्रेस पार्टी से नवगठित जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और जून, 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, कि याचिकाकर्ता ने विशुद्ध रूप से सार्वजनिक सेवा की भावना से कार्य किया। उन्होंने एक लंबा पर्चा निकाला था जिसमें उन्होंने श्री भजन लाल सहित जनता पार्टी के उम्मीदवारों के छायादार अतीत का कुछ विस्तार से वर्णन किया था, कि श्री भजन लाल हरियाणा में बिश्नोई के एक छोटे से संप्रदाय से संबंधित हैं और अपने बिश्नोई हमवतनो की मदद करने के लिए सामने आए हैं, जब प्रतिवादी नंबर 2 श्री देवी लाल की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, रोहतक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में मोहिंदर सिंह बिश्नोई के प्रवेश पर जोर दिया कि मोहिंदर सिंह बिश्नोई ने मेरिट नहीं बनाई और याचिकाकर्ता को 10 तारीख को प्रतिवादी नंबर 2 को माफी का पत्र भेजना पड़ा। मई, 1979 में, प्रतिवादी संख्या 2 ने अभी भी अपने प्रवेश पर जोर दिया, कि याचिकाकर्ता ने चिकित्सा विभाग में सीटों की संख्या बढ़ाने और उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर महसूस किया, कि इसी तरह प्रतिवादी नंबर 2 बॉम्बे के श्री बीएल मेहता के बेटे संजीव मेहता को विश्वविद्यालय में प्रवेश देना चाहता था, कि याचिकाकर्ता ने उस लड़के को प्रवेश देने में असमर्थता दिखाई और इस तरह प्रतिवादी नंबर 2 की नाराजगी अर्जित की। रोहतक के एक दौरे के दौरान, प्रतिवादी नंबर 2 ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले 13 छात्रों की एक सूची दी, कि उनमें से एक प्रतिवादी नंबर 2 के निजी सहायक सोम दत्त से संबंधित था, कि याचिकाकर्ता के पास एक और पर्ची किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लाई गई थी, जिसे यह राम नारायण द्वारा दी गई थी। प्रतिवादी नंबर 2 के वरिष्ठ पीए, और यह कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 को उपकृत नहीं कर सका, जिससे प्रतिवादी नंबर 2 को नाराजगी हुई।

98) यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 12 अप्रैल, 1978 को मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. के. एन. गर्ग को निलंबित कर दिया था, कि उनके खिलाफ गंभीर आरोपों में यह आरोप था कि उन्होंने शाह आयोग को आपातकालीन ज्यादतियों के बारे में गलत अभ्यावेदन दिया था और जांच पूरी किए बिना और याचिकाकर्ता को शर्मिंदा करने और अवज्ञा करने के लिए, डॉ. के. एन. गर्ग को बहाल कर दिया गया और डॉ. के. एन. गर्ग, जो निदेशक-प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे, को हटा दिया गया ताकि मिस सुनीता रानी के प्रवेश का मार्ग सुगम हो सके और उन्हें अपने बैच के साथ परीक्षा में बैठने में सक्षम बनाया जा सके क्योंकि डॉ. मेहरोत्रा का विचार था कि उन्हें अपने बैच के अन्य छात्रों के साथ उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसके बजाय बाद में उपस्थित होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि उन्होंने विभिन्न शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर पुनर्विचार /समीक्षा करना चाहते थे।

99) यह भी प्रस्तुत किया गया था कि 17 अगस्त, 1979 को हरियाणा सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जनता विधायकों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया गया था कि आयोग की नियुक्ति पर, 8 सितंबर, 1979 को प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता को इस्तीफा देने या छुट्टी पर जाने के लिए कहा था, क्योंकि याचिकाकर्ता छुट्टी पर जाने के लिए तैयार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 2 ने एक बयान दिया था जो 10 सितंबर, 1979 को प्रेस में प्रकाशित हुआ था कि याचिकाकर्ता जो छुट्टी पर जाने के लिए तैयार नहीं था, उसे निलंबित किया जा रहा था और प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसने कुलपति को कुलपति को निलंबित करने, उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों को बदलने और तीन महीने के नोटिस पर या तीन महीने के वेतन के भुगतान पर कुलपति की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार दिया था।

100) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि प्रतिवादी नंबर 2 का निपटारा गलत तरीके से किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावना थी।

101) दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोप निराधार और झूठे हैं, और गैर-जिम्मेदार और लापरवाह तरीके से लगाए गए हैं। व्यक्तिगत मामलों की बात करें तो यह आग्रह किया गया था कि याचिकाकर्ता ने सीटें बढ़ाई थीं और मोहिंदर सिंह बिश्नोई को भर्ती किया था। इस स्थिति में, यह शायद ही विश्वास किया जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावना रखेगा, जिसने अपने प्रदर्शन पर सीटों की संख्या में वृद्धि की थी और मोहिंदर सिंह बिश्नोई को भर्ती करके मुख्यमंत्री की इच्छा को पूरा किया था। संजीव मेहता के मामले के बारे में, प्रतिवादी नंबर 2 ने यह याद रखने में असमर्थता दिखाई है कि क्या उन्होंने कभी याचिकाकर्ता को उनके बारे में कोई सिफारिश की थी। मिस सुनीता रानी के मामले में यह तर्क दिया गया था कि एक सीट मुख्यमंत्री के नामित व्यक्ति के लिए आरक्षित थी और अनुकंपा के आधार पर उन्होंने उस एक सीट के खिलाफ सुश्री सुनीता रानी को नामित किया था और इस स्थिति में यह कहना कि नामांकित व्यक्ति, योग्यता के आधार पर, नामांकित होने के योग्य नहीं था, अर्थहीन है।

102)उम्मीदवारों की सूची देने के संबंध में, विद्वान महाधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो निम्नानुसार है: –

> "पैरा 11 के उप-पैरा (3) के खंड (सी) में निहित आरोपों के संबंध में, यह पूरी तरह से गलत है कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को 13 छात्रों की सूची (अनुलग्नक पी -16) सौंपी थी।
>
> करीब दो सप्ताह तक मामले की सुनवाई करने वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। डिवीजन बेंच के समक्ष मेरे वकील ने मेरे ध्यान

में लाया था कि हालांकि रिट याचिका में पी/16 को एक दस्तावेज के रूप में दिखाया गया था, लेकिन मूल याचिकाकर्ता द्वारा पेश नहीं किया गया था जैसा कि नियमों की आवश्यकता थी। हालांकि वकील ने अदालत से याचिकाकर्ता द्वारा मूल दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था, जिसने पहले कहा था कि मूल विश्वविद्यालय के पास होना चाहिए। मेरे वकील ने विश्वविद्यालय से केवल यह बताने के लिए संपर्क किया था कि पी/16 का मूल पत्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास नहीं है। इस प्रकार, 26 नवंबर, 1980 को याचिकाकर्ता ने पी /16 बनाने वाले दो दस्तावेज पेश किए। उस तारीख से पहले, याचिकाकर्ता ने खुलासा नहीं किया था कि पी /16 एक नहीं बल्कि दो दस्तावेज थे।

याचिकाकर्ता उच्च शिक्षित व्यक्ति है। वह प्राप्त होने वाली हर पर्ची पर ध्यान देता है और इसे संरक्षित करता है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह दो पर्चियों के बारे में भूल जाएगा और; दो दस्तावेजों को एक पी /16 के रूप में उल्लेख करना। यह अविश्वसनीय है कि उन्हें इस चूक का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक कि 26 नवंबर, 1980 को अदालत द्वारा उनसे मूल दस्तावेज पेश नहीं किया जाता।

इस प्रकार, मेरे वकील के लिए श्री राम नारायण, मेरे पीए से यह पता लगाना अपरिहार्य हो गया कि उनके लिए जिम्मेदार पर्ची याचिकाकर्ता के कब्जे में कैसे आई थी।

श्री राम नारायण ने खुलासा किया है कि जब श्री हरद्वारी लाल मंत्री थे तब वे उनके पीए थे। यह भी खुलासा किया गया कि पीए के रूप में उनकी सेवा को याचिकाकर्ता द्वारा एक अलग चरण में मांगा गया था। यह भी खुलासा किया गया कि श्री राम नारायण के याचिकाकर्ता के साथ व्यक्तिगत सौहार्दपूर्ण संबंध थे और उस क्षमता में उन्होंने अपनी ओर से एक परिचित छात्र (राम नारायण) के प्रवेश के लिए पर्ची दी थी, न कि श्रीमती भजन लाल की ओर से, जिसका नाम उस समय पर्ची पर नहीं था जब उन्होंने इसे याचिकाकर्ता को दिया था।

यदि बाद के स्पष्टीकरण को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो रिट याचिका में दावा किया गया है कि सूची पी /16 श्रीमती भजन लाल से निकली थी।

उपरोक्त कथन में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपनी दुर्भावना की दलील को प्रेरित करने के लिए सूची पी/16 तैयार की , जिसका अन्यथा कोई आधार नहीं है।

103)जहां तक डॉ. के. एन. गर्ग की बहाली का संबंध है, विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस तथ्य के बावजूद मेडिकल कॉलेज के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहा था कि इसे राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया था, याचिकाकर्ता का मेडिकल कॉलेज के मामलों पर कोई व्यवसाय या नियंत्रण नहीं था और यह शासी निकाय के लिए था जिसे मेडिकल कॉलेज के मामलों को चलाना था। मेडिकल कॉलेज, डॉ केएन गर्ग की बहाली के बारे में निर्णय लेने के लिए। संकाय सदस्यों को प्रतिकूल टिप्पणी देने के संबंध में, श्री यू. डी. गौर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने कुछ संकाय सदस्यों को कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां दी थीं; याचिकाकर्ता द्वारा यह भी नहीं बताया गया था और जब सेन को अवगत कराया गया था, तो पीड़ित व्यक्तियों ने अपील दायर की और अंततः पूरे मामले पर विचार करने पर, टिप्पणी को हटा दिया गया।

104) प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रेस बयान देने के संबंध में, विद्वान एडवोकेट-जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा इसका खंडन किया गया है और ऐसे बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

105)पूरे मामले पर हमारे विचारशील विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण किसी भी आरोप को साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है। जो उदाहरण दिए गए हैं, वे कमजोर हैं। उनमें से कुछ पूरी तरह से बाहरी हैं और यहां तक कि कोई प्रासंगिकता भी नहीं है। याचिकाकर्ता उन मामलों के संबंध में भी अपराध करता है जिनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, याचिकाकर्ता ने अगस्त, 1978 तक मेडिकल कॉलेज, रोहतक के प्रधान कार्यकारी प्रमुख के रूप में मेडिकल कॉलेज के कुछ व्याख्याताओं के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की थीं। मेडिकल कॉलेज का नियंत्रण 1978 में किसी समय विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। हरियाणा राज्य चिकित्सा शिक्षक संघ की ओर से प्रतिवादी नंबर 2 को एक अभ्यावेदन दिया गया था कि दक्षता बार और पुन: पदनाम के उनके मामलों के निर्णय में तेजी लाई जाए। चूंकि पहले शासी निकाय को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए यह निर्णय लिया जाना था कि कौन सा प्राधिकरण उन मामलों से निपटेगा। इस आधार पर मामले को निर्णय के लिए शासी निकाय के समक्ष रखा गया था, जिसने संबंधित कर्मचारियों को प्रतिकूल टिप्पणियों से अवगत कराने और व्यक्तिगत मामलों से निपटने का निर्णय लिया।

106)इन तथ्यों के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए किसी भी मकसद को आरोपित करना अनुचित है। यह ध्यान रखना उचित होगा कि रिकॉर्ड से हमें यह दिखाया गया था कि कुछ मामलों में, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों को संबंधित शिक्षकों को भी नहीं बताया गया था। मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के बाद, पीड़ित व्यक्तियों ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए शासी निकाय का दरवाजा खटखटाया। आश्चर्यजनक रूप से, याचिकाकर्ता इसे *प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ* दुर्भावनापूर्ण कार्य मानता है।

107)जहां तक डा के एन गर्ग के मामले का संबंध है, उनके विरुद्ध शुरू की गई जांच के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उन्हें बहाल कर दिया गया है। लेकिन फिर, हम यह समझने में विफल हैं कि याचिकाकर्ता को उस मामले से क्या परेशानी हो सकती है जिससे वह चिंतित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता उच्च या निम्न सभी से अपेक्षा करता है कि वह उसके फैसले का पालन करे, गलत या सही और यदि कोई अपने विवेक या अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, तो उसके उस कार्य को दुर्भावनापूर्ण कार्य के रूप में लेबल किया जाता है।

108)याचिकाकर्ता के इस आरोप पर आते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कुछ उम्मीदवारों को प्रवेश दिलाने के लिए कुछ सूचियां दी गई थीं, यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यह साबित नहीं होता है। प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने जवाब में, जिसे फैसले के पहले भाग में पुन: प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि याचिकाकर्ता ने अनावश्यक रूप से प्रतिवादी नंबर 2 को शामिल करने की कोशिश की है और कुछ सूचियां पेश की हैं जिनके साथ प्रतिवादी को कोई चिंता नहीं थी। जिस तरह से दो पर्चियों को एक दस्तावेज के रूप में दिखाया गया है, उससे हमारे मन में इन सूचियों की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा होता है। राम नारायण द्वारा दायर हलफनामे में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यह वह था जिसने अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण याचिकाकर्ता को कुछ चिट दी थी और उस चिट पर श्रीमती भजन लाल के हस्ताक्षर नहीं थे। जैसा कि पहले कहा गया था, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिए गए कथन स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में रखी गई याचिका को झुठलाते हैं।

109)समाचार पत्रों में छपी खबरों पर आते हुए, यह कहना पर्याप्त है कि उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है और सामंत ***एन बालकृष्ण आदि* बनाम *जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य***[30] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए इसे नजरअंदाज किया जाना

[30] ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1201.

चाहिए, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया है:

> पीठ ने कहा, 'गवाहों के माध्यम से वास्तव में क्या हुआ था, इसके किसी और सबूत के बिना एक खबर का कोई मूल्य नहीं है. यह सबसे अच्छा सेकंड-हैंड सेकेंडरी सबूत है। यह सर्वविदित है कि रिपोर्टर जानकारी एकत्र करते हैं और इसे संपादक को देते हैं जो समाचार आइटम को संपादित करता है और फिर इसे प्रकाशित करता है। इस प्रक्रिया में सत्य विकृत या विकृत हो सकता है। इस तरह की खबरों को खुद को साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, हालांकि अगर अन्य सबूत जबरन हैं तो उन्हें अन्य सबूतों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है।

इसके अलावा, इन बयानों को बनाने से प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा विशेष रूप से इनकार किया गया है।

110) जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ दु*र्भावना* के आरोपों का संबंध है, उनके खिलाफ चांसलर के रूप में उनकी क्षमता में लगाए गए हैं, न कि राज्य के राज्यपाल के रूप में। इस स्थिति में, उन आरोपों के गुण-दोष में जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हालांकि, गुण-दोष के आधार पर भी उन आरोपों में कोई दम नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 ने विशेष रूप से इन आरोपों से इनकार किया है। याचिकाकर्ता इनमें से किसी भी आरोप को साबित करने और साबित करने में सक्षम नहीं है। यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने कुछ आरोप गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लगाए हैं। इस प्रकार, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि याचिकाकर्ता *प्रतिवादी नंबर 1 के* साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

111) विवाद के गुण-दोष पर निर्णय लेने के बाद, मैं अब एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक आपत्ति देखूंगा जो प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उठाई गई थी। अधिवक्ता डॉ. चितले ने दलील दी कि हरियाणा के राज्यपाल श्री जी. डी. तापसे अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के *पदेन* कुलाधिपति हैं और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत संरक्षण के कारण उनके खिलाफ कोई रिट दायर नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राव द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 361 द्वारा दी गई प्रतिरक्षा (संविधान और उसके तहत किए गए कृत्यों के लिए) के तहत राज्यपाल के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन तक ही सीमित थी; कि राज्यपाल का कार्यालय चांसलर से अलग है; कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय चांसलर सहायता और सलाह पर कार्य नहीं करता है। मंत्रिपरिषद की सदस्य; यह कि कुलाधिपति का पद संविधि के तहत सृजित किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत परिकल्पित कोई प्रतिरक्षा कुलाधिपति को उपलब्ध नहीं है।

112) पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों की वैधता की जांच करने से पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं: -

> (1) राष्ट्रपति, या किसी राज्य का राज्यपाल, अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा:
>
> परन्तु राष्ट्रपति के आचरण की संसद के किसी भी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के अधीन किसी आरोप की जांच के लिए नियुक्त या पदनामित

किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा समीक्षा की जा सकेगी:

परन्तु इस खंड की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।

(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

(3) राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय से जारी नहीं की जाएगी।

(4) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सिविल कार्यवाही, जिसमें राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध राहत का दावा किया जाता है, उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में किसी भी न्यायालय में उसके पदावधि के दौरान स्थापित नहीं की जाएगी, चाहे वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले हो या बाद में, या ऐसे राज्य के राज्यपाल के रूप में, जब तक कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद दो महीने की समाप्ति तक, जैसा भी मामला हो, या कार्यवाही की प्रकृति, कार्रवाई का कारण, उस पार्टी का नाम, विवरण और निवास स्थान का उल्लेख करते हुए छोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा ऐसी कार्यवाही शुरू की जानी है और जिस राहत का वह दावा करता है।

उपरोक्त प्रावधानों का विश्लेषण जो नागरिक और आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ राज्यपाल की प्रतिरक्षा की सीमा निर्धारित करता है, यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए किए गए या कथित रूप से किए गए किसी भी कार्य के लिए कानूनी कार्रवाई से व्यक्तिगत छूट दी है। अपने कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा या किसी भी प्रक्रिया के तहत कारावास। जहां तक राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत और व्यक्तिगत क्षमता में नागरिक कार्रवाई का संबंध है, चाहे वे कार्रवाई उनके संबंधित कार्यालयों में प्रवेश करने से पहले या बाद में किए गए कृत्यों से उत्पन्न हुई हो, अनुच्छेद के खंड (3) के तहत गिरफ्तारी से छूट के अलावा उनके खिलाफ कानून की अदालत में किसी भी कार्रवाई से कोई प्रतिरक्षा नहीं है। और शर्त यह है कि खंड (4) में उल्लिखित विवरणों को निर्दिष्ट करते हुए लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद अगले दो महीने की समाप्ति से पहले मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।

113) पक्षकारों के वकीलों की संबंधित दलीलों पर, संक्षिप्त प्रश्न जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अनुच्छेद 361 (1) के तहत परिकल्पित प्रतिरक्षा राज्यपाल को किसी भी अधिनियम या संविधि के तहत राज्यपाल को प्रदान की गई शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन तक भी फैली हुई है, न कि राज्यपाल के रूप में उनकी क्षमता में, बल्कि राज्यपाल के रूप में उनके पद के आधार पर उनके द्वारा धारण की गई एक अलग क्षमता में।

114) यद्यपि विभिन्न प्राधिकारियों का हवाला दिया गया और बहुत सारे तर्क दिए गए, फिर भी जब मैं इस मामले को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से अनुच्छेद 361 के खंड (1) में होने वाली अभिव्यक्ति 'अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन' के सही निर्माण पर निर्भर करेगा।

115) कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त राज्यपाल की शक्तियों के साथ-साथ किसी भी कानून या वैधानिक नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियां शामिल हैं। संविधान के तहत, कुछ अनुच्छेद हैं जो उन मामलों के संबंध में राज्यपाल को राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति निहित करने का संकेत देते हैं जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है।

116) अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 161 में प्रावधान है कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने या निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति होगी, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति फैली हुई है। अनुच्छेद 162 कहता है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। इन तीन अनुच्छेदों को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति उन मामलों के संबंध में राज्यपाल में निहित है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। उन्हीं मामलों के संबंध में राज्यपाल के पास भी सीमित न्यायिक शक्तियां हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।

117) हमारा ध्यान राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्रदान करने वाले अन्य अनुच्छेदों की ओर भी दिलाया गया। अनुच्छेद 165 राज्यपाल को महाधिवक्ता नियुक्त करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 166(3) राज्यपाल को राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है, जहां तक यह कार्य नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 192 राज्यपाल को विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 200 विधायिका द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल की शक्ति की बात करता है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल को राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है।

118) ये सभी शक्तियां संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त हैं। लेकिन इन शक्तियों और कर्तव्यों के अलावा, कार्यालय की शक्तियां और कर्तव्य हो सकते हैं, जो हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, संविधान में कई अनुच्छेदों के कामकाज के परिणामस्वरूप होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान अन्य निकायों या प्राधिकारियों को भी संविधान के उपबंधों के अधीन राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करने या कर्तव्यो को लागू करने में सक्षम बना सकता है। इसलिए, अन्य निकाय राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्रदान करने वाले कानून बना सकते हैं। इसलिए, ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा राज्यपाल को एक शक्ति प्रदान की जा सकती है जो उन्हें राज्यपाल के रूप में अपने कार्यालय के आधार पर उस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा अपने पद के आधार पर प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां तक संविधान स्पष्ट रूप से या शायद आवश्यक निहितार्थ द्वारा अन्यथा प्रदान करता है। इस संबंध में **समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य** [31] मामले में उच्चतम न्यायालय के

[31] ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 2192.

निर्णय का एक अंश देखिए अंश, जो पैरा 48 में रिपोर्ट के पृष्ठ 2202 पर दिखाई देता है और इस प्रकार पढ़ता है:-

> उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल भी संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख हैं. राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर संविधान द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करता है, सिवाय उन क्षेत्रों में जहां राज्यपाल को अपने विवेक में अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए संविधान द्वारा या उसके तहत आवश्यक है। जहाँ कहीं भी संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किसी शक्ति या कार्य के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है बल्कि सरकार की कैबिनेट प्रणाली में संवैधानिक अर्थों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि है, अर्थात्, अपने मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, जिनकी सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल आम तौर पर अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग करते हैं। इन दो अनुच्छेदों 77(3) और 166(3) में से किसी के अधीन बनाए गए कार्य नियमों के अधीन किसी मंत्री या अधिकारी का निर्णय क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय होता है। इन अनुच्छेदों में किसी भी प्रतिनिधिमंडल का प्रावधान नहीं था। इसलिए, नियमों के तहत मंत्री या अधिकारी का निर्णय: कार्य का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय है।

उसी निर्णय में पैरा 57 में आगे यह कहा गया है कि -

> पीठ ने कहा, "पूर्वोक्त कारणों से हम मानते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करते हैं जिसमें केंद्र के मामले में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं और राज्य के मामले में मुख्यमंत्री उन सभी मामलों में प्रमुख होते हैं जो कार्यपालिका में निहित होते हैं, चाहे वे कार्य कार्यपालिका के हों या विधायी स्वरूप के। न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से कार्यकारी कार्यों का उपयोग करना है।

119) संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के बाद, अब यह देखा जाना है कि क्या चांसलर द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों का राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन से कोई संबंध है। यद्यपि पहले भी मैंने अधिनियम और संविधि के कतिपय संगत उपबंधों का उल्लेख किया है, फिर भी संदर्भ की सुविधा के लिए यहां उन उपबंधों का पुन उल्लेख करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय के पहले चांसलर को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। धारा 8 के तहत चांसलर को विश्वविद्यालय के अधिकारियों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। धारा 8 की उपधारा (2) के तहत, कुलाधिपति को ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी व्यक्ति को प्रति-कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है, जो वह उचित समझे। धारा 19 के तहत कुलाधिपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अधिनियम और संविधि, अध्यादेशो और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए कह सकता है या निर्देशित कर सकता है। उपधारा (2) के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उपधारा (1) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कहा जाएगा।

120) विश्वविद्यालय की पहली संविधियों के तहत, संविधि 2 में प्रावधान है कि हरियाणा के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति होंगे। संविधि 3 कहती है कि कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा। संविधि 3 के उपखंड (2) में यह प्रावधान है कि कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, डिग्रियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और न्यायालय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। संविधि 4(6) के अंतर्गत कुलपति को ऐसे निबंधन ोां और शर्तों पर कुलपति नियुक्त करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है जो वह निर्धारित करता है। संविधि 4 के खंड (8) के तहत कुलपति के कार्यालय में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कुलाधिपति को शक्ति दी गई है।

संविधि 10 न्यायालय के गठन का प्रावधान करती है जिसमें कुलाधिपति का पदेन सदस्यों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है । संविधि 26 के अंतर्गत संविधि में उल्लिखित किसी भी शर्त में छूट देने की शक्ति दी गई है।

121) जैसा कि पहले देखा गया है, और यह अधिनियम और संविधियों की योजना है, कि विश्वविद्यालय के मामलों में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। राज्य सरकार एक प्राधिकरण है जो कुलाधिपति के अधिकार से काफी अलग है। राज्य सरकार कुलाधिपति को किसी विशेष तरीके से कार्य करने की सलाह नहीं दे सकती है। विश्वविद्यालय एक वैधानिक निकाय है, जो चरित्र में स्वायत्त है। अधिनियम और संविधियों के अंतर्गत, कुलाधिपति को उसके द्वारा अपने पूर्ण विवेक से किसी भी पक्ष के हस्तक्षेप के बिना कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। कुलपति या प्रति-कुलपति की नियुक्ति के लिए, उन्हें मंत्रिपरिषद से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि अपने पद के आधार पर राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बन जाता है, लेकिन अपने पद के कार्यों का निर्वहन करते समय वह राज्यपाल के पद के किसी भी कर्तव्य का पालन या किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। कार्यालय के कार्यों का निर्वहन करते समय, कुलाधिपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य नहीं करता है। यह कहना सही नहीं होगा कि चूंकि राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद धारण करता है, इसलिए संबंधित अधिनियम या संविधि के तहत वह जिन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करता है या करता है, वे राज्यपाल के रूप में उसके कार्यालय की शक्तियां और कर्तव्य हैं। राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ शक्तियां और कर्तव्य ोां के साथ निहित किया गया है जो आम तौर पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग या निष्पादित किए जाते हैं और इसलिए, ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिरक्षा देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन कुलाधिपति के मामले में यह स्थिति नहीं है क्योंकि अधिनियम के तहत उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वह किसी भी पक्ष के हस्तक्षेप के बिना अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। वह जो पद धारण करता है वह एक कानून का पद है और राज्यपाल के कार्यालय से काफी अलग है।

122) यदि कुलाधिपति को भी छूट प्रदान की जाती है, तो इसके विसंगतिपूर्ण परिणाम होंगे, अर्थात राज्य कार्यकारिणी के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की कार्रवाई के संबंध में, राज्य के खिलाफ उचित कार्यवाही खुली होगी, जबकि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कार्यवाही में कुलाधिपति की कार्रवाई पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं होगी, इस कारण से कि कुलाधिपति की कार्रवाई राज्य कार्यकारिणी के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की कार्रवाई नहीं है, अनुच्छेद 361 (1) के दूसरे परंतुक में कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे इस निष्कर्ष से बचने का कोई मौका नहीं मिलता है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम या संविधियों के तहत कुलाधिपति द्वारा प्रयोग और निष्पादित शक्तियों और कर्तव्यों का राज्यपाल के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है।

123) डॉ चिताले ने कुछ निर्णयों पर भरोसा किया था। पहला मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है *वह है बिवियन चंद्र बोस* बनाम डॉ एच *सी मुखर्जी, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल और अन्य*[32]। उस स्थिति में, राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिसे उक्त अनुच्छेद के खंड (5) के साथ पढ़ा गया था, कुछ व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के रूप में नामित किया था। उक्त नामांकन को बिमान चंद्र बोस द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन्होंने अनुच्छेद 171 (5) के तहत नामांकन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा किया और राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्तियों में से कोई भी उक्त अनुच्छेद की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। याचिका की सुनवाई के समय, महाधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधानों के कारण, याचिका राज्यपाल के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं थी। पूरे मामले पर विचार करने पर, विद्वान न्यायाधीश

[32] ए.आई.आर. 1952 कलकत्ता 799.

ने आपत्ति को सही ठहराया। दूसरा मामला लक्ष्मण सिंह बनाम *मध्य भारत के राज प्रमुख और अन्य*[33]का है। उस मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता जो जागीरदार था, उसे किसी भी कानून के तहत अपनी जागीर के भीतर भूमि प्रशासन की जमींदारी या रैयतवारी प्रणाली को पेश करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, उसने 1909 में गैर-आवेदक किरायेदारों संख्या 4 से 31 को अलग-अलग अनुबंधों के तहत भूमि पट्टे पर दी थी। याचिकाकर्ता द्वारा 1938 में पट्टों को संशोधित किया गया था और किराए में वृद्धि की गई थी। पट्टों के संशोधन के बाद से, किरायेदारों ने 1949 तक बढ़े हुए किराए का भुगतान किया। उस वर्ष, किरायेदारों द्वारा मध्य भारत सरकार को की गई शिकायत पर, जागीर आयुक्त ने एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को 1908 में जारी पट्टों के अनुसार किराया वसूलने और 1938 में किराए के संशोधन के बाद से उनसे वसूली गई अतिरिक्त राशि किरायेदारों को वापस करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने जागीर आयुक्त के उक्त आदेश के खिलाफ मध्य भारत सरकार में अपील की और अपील में आदेश को बरकरार रखा गया। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह आपत्ति जताई गई थी कि याचिका विचार योग्य नहीं है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 361 के प्रावधानों के मद्देनजर राजप्रमुख के खिलाफ राहत की मांग की गई है- इस तर्क को बरकरार रखा गया था।

124) उपर्युक्त दो मामलों के तथ्यों से, यह काफी स्पष्ट होगा कि वे अलग-अलग हैं और हाथ में मामले के तथ्यों के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।

125) अगला मामला जिस पर विस्तृत संदर्भ की आवश्यकता है और जिस पर दोनों विद्वान वकीलों ने भरोसा किया है, वह है *डॉ. एस. सी. बरात और अन्य* बनाम *हरि बिनायक पाटस्कर और अन्य*[34]. उस मामले के तथ्य यह हैं कि जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति हैं। कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय का प्रमुख और न्यायालय का अध्यक्ष होता है, और जब उपस्थित होता है तो उसे न्यायालय की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने की आवश्यकता होती है। कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया धारा 9 में निर्धारित है। उस प्रावधान के अनुसार- कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा उप-धारा (2) के अनुसार गठित समिति द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन नामों के पैनल में से की जाती है। इस समिति का गठन कुलाधिपति द्वारा किया जाता है और इसमें तीन व्यक्ति होते हैं। उपधारा (2) के तहत गठित समिति को अपने गठन की तारीख से डेढ़ महीने के भीतर अपना पैनल प्रस्तुत करना आवश्यक है। समिति ने नामों का एक पैनल प्रस्तुत किया। उस मामले में याचिकाकर्ताओं डॉ एस सी बारात और एक अन्य ने समिति के गठन की वैधता को चुनौती दी और आगे अनुरोध किया कि उस समिति की सिफारिश के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर श्री कुंजीलाल दुबे (निरंतर कुलपति) के उत्तराधिकारी के रूप में वैध रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादियों की ओर से याचिका को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के समय कुलाधिपति की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री केए चिताले द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, जिसके साथ हम चिंतित हैं, कि न्यायालय को कुलाधिपति के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी कार्यवाही पर विचार करने या कोई निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपत्ति अनुच्छेद 361 पर टिकी थी और इसे इसलिए उठाया गया था क्योंकि राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। विद्वान न्यायाधीशों, जैसा कि निर्णय से स्पष्ट होगा, ने संविधान के उपबंधों के आलोक में इस मामले पर गहन विचार किया और अंत में) इस प्रकार टिप्पणी की:- ,

"जब कोई अधिनियम राज्यपाल को राज्यपाल के रूप में अपने पद के आधार पर नहीं, बल्कि एक अलग क्षमता में शक्ति प्रदान करता

---

[33] ए.आई.आर. 1953 एम.पी.54 (ग्वालियर बेंच)।

[34] ए.आई.आर. 1962 मध्य प्रदेश 73

है, तो प्रदान की गई शक्तियां और कर्तव्य राज्यपाल के कार्यालय की शक्तियां और कर्तव्य नहीं हैं। वे एक अलग पद की शक्तियां और कर्तव्य हैं जो राज्यपाल के रूप में अपने कार्यालय के आधार पर राज्यपाल रखते हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि जैसा कि दूसरा पद उस व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है जो राज्यपाल के रूप में अपने पद के आधार पर राज्य का राज्यपाल है, इसलिए, संबंधित अधिनियम के तहत वह उस अन्य पद का उपयोग या पालन करने वाली शक्तियां और कर्तव्य राज्यपाल के रूप में उसके कार्यालय की शक्तियां और कर्तव्य हैं।

उपर्युक्त टिप्पणियां स्पष्ट रूप से उस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं जो हम अपना रहे हैं, लेकिन डा चिताले ने पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया जो रिपोर्ट के पैरा 10 में दिखाई देती हैं - .

"अब, जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 9, राज्य के राज्यपाल को राज्यपाल के रूप में अपने कार्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं बनाती है। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे। इस उपबंध का सीधा अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो इस समय राज्य का राज्यपाल है, कुलाधिपति होगा। धारा 9 (1) यह नहीं कहती है कि राज्यपाल राज्यपाल के रूप में अपने पद के आधार पर कुलाधिपति होगा या राज्यपाल *पदेन* कुलाधिपति होगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 10 (1) प्रति-कुलपति के कार्यालय के संबंध में एक अलग भाषा का उपयोग करती है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्री *पदेन* कुलपति होंगे। जबकि धारा 9 (1) के तहत राज्यपाल के पद को भरने वाले व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व को चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति का आधार बनाया जाता है, धारा 10 (1) के तहत यह कार्यालय ही है जिसे प्रो-चांसलर के रूप में शिक्षा मंत्री की नियुक्ति के लिए मानदंड बनाया जाता है।

नियुक्ति के इन दो तरीकों के बीच का अंतर एक वास्तविक है। इस प्रकार कुलाधिपति अधिनियम के तहत जिन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करता है या करता है, वे राज्यपाल को प्रदत्त कोई शक्तियां या कर्तव्य नहीं हैं या उस क्षमता के नहीं हैं जो वह राज्यपाल के रूप में अपने पद के आधार पर धारण करता है। वे उस व्यक्ति द्वारा आयोजित सार्वजनिक क्षमता की शक्तियां और कर्तव्य हैं जो राज्यपाल भी है। जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलाधिपति की शक्तियां राज्यपाल के कार्यालय की शक्तियां और कर्तव्य नहीं हैं और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 361 (1) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलाधिपति द्वारा कुलाधिपति के रूप में अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, विद्वान वकील द्वारा यह तर्क देने की मांग की गई थी कि उस मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने प्रारंभिक आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे, लेकिन इस मामले में कुलाधिपति राज्यपाल के रूप में अपने कार्यालय के आधार पर है, अर्थात्, राज्यपाल विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति है। यह सही है कि उपर्युक्त टिप्पणियों से डा चिताले का अपने तर्क के लिए समर्थन मांगना उचित है लेकिन अत्यंत सम्मान के साथ, हम एस के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं। ***सी. बराट का मामला*** **(सुप्रा)** कि नियुक्ति के दो तरीकों के बीच अंतर, अर्थात, जहां किसी राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा और जहां राज्यपाल अपने पद के आधार पर या पदेन कुलपति होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि पहले देखा जा चुका है, देखने वाली वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या कुलाधिपति के पद पर रहते हुए राज्यपाल कोई कर्तव्य निभा रहे हैं या अपने पद से संबंधित किसी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? इसके अलावा, यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुलाधिपति का पद धारण करके क्या राज्यपाल

पूरी तरह से एक अलग पद और एक अलग क्षमता में नहीं है? यदि इन दो प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है, तो कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल राज्यपाल के रूप में अपनी क्षमता में किसी भी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग या पालन नहीं करेगा और न ही कुलाधिपति के कार्यालय की शक्ति या कर्तव्य के प्रयोग या प्रदर्शन का राज्यपाल के पद के कर्तव्य के अभ्यास या प्रदर्शन से कोई संबंध होगा। यह देखा जा सकता है कि पैरा 10 में की गई टिप्पणियों को छोड़कर, एससी बारात के मामले (सुप्रा) में पूरा निर्णय श्री राव के तर्क का समर्थन करता है और प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील की मदद नहीं करता है।

126) यह मुझे **जोती प्रसाद उपाध्याय बनाम कालका प्रसाद भटनागर और अन्य**[35] के अगले मामले में लाता है। उस मामले के तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए जोती प्रसाद उपाध्याय का चुनाव इस आधार पर सवालों के घेरे में था कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9 के तहत कुलाधिपति द्वारा आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। 1926, और यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। याचिका को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि कुलपति द्वारा धारण किया गया पद आगरा विश्वविद्यालय के अधीन था, न कि राज्य सरकार के अधीन और इस प्रकार कुलपति का कार्यालय लाभ का पद नहीं था। पक्षकारों की संबंधित दलीलों पर केवल एक ही बात तय करने की जरूरत थी कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। संविधान और विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत उपबंधों पर विचार करने के बाद न्यायालय की ओर से बोलते हुए माथुर ने निम्नलिखित निर्णय दिया -

> "अधिनियम स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग प्राधिकरणों, अर्थात् कुलाधिपति और राज्य सरकार की परिकल्पना करता है। जब विधायिका ने जानबूझकर कुलाधिपति और राज्य सरकार के बीच विभेद किया है, तो इसके अलावा कोई अन्य राय नहीं बनाई जा सकती है, सिवाय इसके कि यह विधायिका का इरादा था कि चांसलर को राज्य सरकार का हिस्सा नहीं माना जाए, और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय कुलाधिपति राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा था।

इसे आगे निम्नानुसार आयोजित किया गया था -

> "यदि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति नहीं माना जाता है, तो आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, चांसलर को राज्य सरकार के साथ समान नहीं किया जा सकता है और दोनों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता है और परिणामस्वरूप चांसलर द्वारा की गई नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा किया गया नहीं माना जा सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील श्री राव ने उपरोक्त टिप्पणियों पर बहुत भरोसा किया था और हमारे विचार में, यह सही है कि वे उनके तर्क का पूरा समर्थन करते हैं और प्रतिवादी नंबर 1 की याचिका को नकारात्मक करते हैं।

127) इस मुद्दे से संबंधित एकमात्र अन्य मामला जिसका संदर्भ की आवश्यकता है**, वह है एम घनामणि बनाम आंध्र के राज्यपाल का**

---

[35] ए.आई.आर. 1962 इलाहाबाद 128.

प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव, आंध्र सरकार और अन्य[36] का मामला । उस मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता मद्रास विश्वविद्यालय के बीई थे। वह एक सहायक अभियंता के रूप में दूसरे सर्कल में काम कर रहा था। 15 जनवरी, 1953 को सरकार का दिनांक 22 दिसम्बर, 1952 का एक आदेश उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड देते हुए दिया गया। उस आदेश के खिलाफ उन्होंने मद्रास के राज्यपाल के पास अपील करना पसंद किया। आंध्र राज्य के गठन के बाद, कागजात निपटान के लिए आंध्र के राज्यपाल को हस्तांतरित किए गए थे। जब याचिकाकर्ता ने आंध्र के राज्यपाल को सूचना के लिए लिखा, तो उन्हें सचिव से जवाब मिला कि उनकी याचिका निपटान के लिए सरकार के सचिव, पीडब्ल्यूडी, आंध्र को भेजी गई थी। याचिकाकर्ता ने जिन आधारों पर राहत का दावा किया था, उनमें से एक यह था कि सरकार को अपील का निपटान करने के लिए कहने में राज्यपाल की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से परे थी और अपील के प्रावधानों को तमाशा तक कम कर दिया, क्योंकि मूल आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को अपील का निपटान करने के लिए कहा गया था। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए उठाए गए बिंदुओं में से एक यह था कि क्या आंध्र के राज्यपाल के खिलाफ परिस्थितियों में एक रिट निहित होगी। पूरे मामले पर विचार करने पर, अनुच्छेद 361 के तहत परिकल्पित प्रतिरक्षा के प्रश्न पर विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

> "अनुच्छेद 361 के तहत कृत्यों की पहली श्रेणी के लिए एक पूर्ण प्रतिरक्षा है, लेकिन अन्य दो के संबंध में केवल एक सीमित है। पहले के संबंध में वह किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। कोई भी अदालत उसे कारण बताने या अपनी कार्रवाई का बचाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। आधिकारिक कृत्यों के मामले में न्यायालय की प्रक्रिया से एक पूर्ण प्रतिरक्षा दी जाती है और यह प्रतिरक्षा न केवल उसके आधिकारिक कृत्यों तक फैली हुई है, बल्कि उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए भी है, जब तक कि वह बेईमानी या बुरे विश्वास का दोषी नहीं है। लेकिन यह राज्यपाल के कृत्यों पर सवाल उठाने से नहीं रोकेगा कि क्या वे उन पर एक प्रक्रिया जारी किए बिना किए जा सकते हैं। वास्तव में अनुच्छेद 361 स्वयं मानता है कि यह प्रतिरक्षा किसी भी व्यक्ति के सरकार के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

128) उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट हो जाएगा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन श्रेणियां बनाई गई थीं जिनमें राज्यपाल की शक्तियां गिर सकती थीं। पहली श्रेणी के बारे में, जिसके तहत राज्यपाल द्वारा अपने पद के आधार पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियां आती हैं, यह माना गया है कि पूर्ण प्रतिरक्षा उपलब्ध है। लेकिन अन्य दो श्रेणियों के संबंध में, अर्थात्, जहां राज्यपाल को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, लेकिन एक अलग क्षमता में, हालांकि वह राज्यपाल के रूप में अपने कार्यालय के आधार पर उस क्षमता पर कब्जा कर लेता है; और जहां राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करता है, जैसे कि वह तीसरे पक्ष के साथ किए गए अनुबंधों का उल्लंघन कर सकता है, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने माना है कि केवल सीमित प्रतिरक्षा उपलब्ध है।

129) ऊपर प्रस्तुत टिप्पणियों के प्रकाश में इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह पहली श्रेणी में नहीं आता है। जहां तक दूसरी और तीसरी श्रेणी का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील डॉ. चिताले ने किसी भी सीमित प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया क्योंकि उनका पूरा मामला पूर्ण प्रतिरक्षा पर आधारित था।

130) मामले के इस दृष्टिकोण में, **एम. घनामणि के** मामले (सुप्रा) में निर्णय, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील की मदद नहीं करता है। इसके बजाय फैसले के पहले भाग में पुन: प्रस्तुत की गई टिप्पणियां श्री राव द्वारा अपनाए गए रुख के पक्ष में हैं।

---

[36] ए.आई.आर. 1954 आंध्र प्रदेश 9.

131) डा बूल चंद के मामले (सुप्रा) के अलावा कोई अन्य प्रासंगिक मामला नहीं है जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता है, और वह भी केवल इस उद्देश्य के लिए कि उस मामले में, चांसलर डॉ बूल चंद द्वारा दायर रिट याचिका में एक पक्षकार थे, जो चांसलर के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी राज्य में नहीं था। इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि कुलाधिपति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत पूर्ण छूट प्राप्त है।

132) उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं मानता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के उप-खंड (1) के तहत राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में शक्ति का प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में किए गए कृत्यों के लिए कोई पूर्ण प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए चांसलर की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया जाना चाहिए।

133) हरियाणा के महाधिवक्ता की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई गई थी कि याचिका में लगाए गए कुछ आरोप अनावश्यक थे और उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 18 के प्रावधानों के तहत हटा दिया जाना चाहिए। इस प्रारंभिक आपत्ति से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि बहस के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने किसी भी अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या अफसोसजनक आरोपों का उल्लेख नहीं किया।

134) इस याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक कोई अन्य बिंदु नहीं बचा है जिस पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक हो सकता है।

135) उपर्युक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप मैं अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करता हूं -

1) संविधि 4 के खंड (7) के तहत, चांसलर सक्षम है और उसे कार्यकाल के नवीकरण को मंजूरी देने की शक्ति है।

2) यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चांसलर ने यह शब्द निर्धारित करने में अपने अधिकार के दायरे में काम किया था कि याचिकाकर्ता के कार्यकाल को नवीनीकृत किया जाएगा और याचिकाकर्ता ने उस वादे / आश्वासन पर काम किया था और अपनी स्थिति बदल दी थी। तत्काल मामले में, एस्टोपेल को बनाए रखना होगा, भले ही यह भविष्य के आश्वासन पर आधारित हो क्योंकि प्रोमिसर का इरादा है-

कानूनी रूप से बाध्य होना और अपने वादे पर कार्रवाई करने का इरादा रखना; इसका नतीजा यह हुआ कि इस पर इतनी कार्रवाई की गई। यह एक वास्तविक वादा था - वादा बाध्यकारी होने का इरादा था, जिस पर कार्रवाई की जानी थी और वास्तव में उस पर कार्रवाई की जानी थी।

3) धारा 9-ए के प्रावधान न केवल उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्हें अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद कुलपति नियुक्त किया जाता है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो प्रख्यापन की तारीख को कार्यालय में हैं।

4) अध्यादेश और संशोधन अधिनियम की धारा 9-ए में 'यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है' शब्द भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले हैं क्योंकि ये केवल एक और एक व्यक्ति के नुकसान के लिए बनाए गए हैं, अर्थात, याचिकाकर्ता जिसका कार्यकाल 27 अक्टूबर से वादे/ आश्वासन के परिणामस्वरूप नवीनीकृत किया जाना था। 1980.

5) याचिकाकर्ता ने इसके लिए कोई आधार रखे बिना पूरी तरह से अनुमानों पर दुर्भावनापूर्ण दलील को स्थापित करने की कोशिश की

है। इस प्रकार दुर्भावना के आधार पर हमला आवश्यक रूप से विफल होना चाहिए और अध्यादेश और संशोधन अधिनियम इस मामले में किसी भी तरह की खामी का सामना नहीं करते हैं।

6) कुलाधिपति द्वारा संविधि के तहत प्रयोग और निष्पादित शक्तियों और कर्तव्यों का राज्यपाल के कार्यालय की शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है।

7) भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के उपखंड (1) में परिकल्पित कोई पूर्ण प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में किए गए कृत्यों के लिए राज्यपाल को उपलब्ध नहीं है।

136) निष्कर्ष (2) और (4) को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रतिवादी संख्या 1 को 27 अक्टूबर, 1980 से कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल को नवीनीकृत करने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश जारी किया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता हूं।

न्यायमूर्ति एस. सी. मित्तल - मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल - मैं भी सहमत हूं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

परीक्षित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

महम, रोहतक,हरियाणा।